

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

फरवरी-मार्च, 2011 सत्र

शुक्रवार, दिनांक 04 मार्च, 2011

तारांकित प्रश्नोत्तर

राजनांदगांव जिले में अवैध रूप से स्थापित मोबाईल टावर

1. (*क्र. 1542) **श्री भोलाराम साहू** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजनांदगांव जिला अंतर्गत किस-किस कंपनी के अवैध रूप से स्थापित मोबाईल टावरों को चिन्हांकित किया गया है ? दिनांक 09-02-2011 की स्थिति में किन-किन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : राजनांदगांव जिला अंतर्गत अवैध रूप से स्थापित विभिन्न कंपनियों के मोबाईल टावरों की सूची एवं दिनांक 09-02-2011 की स्थिति पर उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है.

जिला जशपुर में उपभोक्ता संरक्षण के तहत प्राप्त शिकायतें

2. (*क्र. 964) **श्री रामपुकार सिंह** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला जशपुर में 1 जनवरी, 2008 से 31 जनवरी, 2011 तक उपभोक्ता संरक्षण के तहत कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : जिला जशपुर में प्रश्नांकित अवधि के दौरान माननीय उपभोक्ता न्यायालय में 34 शिकायत प्राप्त हुई है. प्राप्त शिकायतों में से 09 शिकायतें निराकृत हो चुकी हैं. शेष शिकायतें माननीय उपभोक्ता न्यायालय, जशपुर के समक्ष विचाराधीन हैं.

महासमुंद जिले के भगतदेवरी परिवहन जांच चौकी में राजस्व की वसूली

3. (*क्र. 494) **श्री रूद्र कुमार गुरु** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद जिले के भगतदेवरी परिवहन जांच चौकी में जनवरी 2010 से 31 जनवरी, 2011 तक कितने राजस्व की वसूली अर्थदंड के रूप में की गई ? (ख) भगत-देवरी परिवहन नाका के अतिरिक्त किन-किन स्थानों में अस्थाई परिवहन जांच की व्यवस्था रायपुर एवं महासमुंद जिले की सीमा में की गई है ? (ग) भगतदेवरी परिवहन नाका के अतिरिक्त अस्थाई परिवहन जांच स्थल (शक्ति नाला) टोलटेक्स बेरियर आरंग के पास उक्त अवधि में कितनी-कितनी राशि अर्थदंड के रूप में वसूली की गई है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) महासमुंद जिले के भगतदेवरी में परिवहन जांच चौकी नहीं है. इसका स्थानांतरण खम्हारपाली में किया गया है. जनवरी 2010 से 31 जनवरी 2011 तक रु. 15,26,16,345/- (रु. पन्द्रह करोड़ छब्बीस लाख सोलह हजार तीन सौ पैंतालीस) का राजस्व अर्थदंड के रूप में वसूल किया गया. (ख) भगतदेवरी में परिवहन नाका नहीं है. इसका स्थानांतरण खम्हारपाली में किया गया है. खम्हारपाली परिवहन नाका के अतिरिक्त किसी स्थान पर अस्थायी जांच चौकी स्थापित नहीं है, परन्तु कर अपवंचन को रोकने की दृष्टि से रायपुर जिले में सरसीवा से सरायपाली (महासमुंद जिले की ओर) एवं महासमुंद जिले में सरायपाली से सारंगढ़ मार्ग पर आकस्मिक जांच की व्यवस्था की गई है. (ग) भगतदेवरी (खम्हारपाली) परिवहन नाका के अतिरिक्त शक्तिनाला टोल टैक्स बेरियर जिला रायपुर के पास परिवहन उड़नदस्ता रायपुर द्वारा समय-समय पर आकस्मिक चेकिंग की जाती है. माह जनवरी, 2010 से जनवरी, 2011 तक रु. 91,67,200/- (रु. इकानवे लाख सड़सठ हजार दो सौ) का राजस्व अर्थदंड के रूप में वसूल किया गया है.

दुर्ग जिले में ए.पी.एल. एवं बी.पी.एल. कार्डधारी परिवार

4. (*क्र. 1126) **श्री विरेन्द्र कुमार साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले के अन्तर्गत वर्तमान में कितने-कितने ए.पी.एल. एवं बी.पी.एल. कार्डधारी परिवार हैं ? विकासखंडवार जानकारी दें। (ख) वर्ष 2008-09 व वर्ष 2009-10 में कितने राशनकार्ड निरस्त किये गये हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) दुर्ग जिले में वर्तमान में 2,65,817 एपीएल कार्डधारी तथा 3,99,738 बीपीएल कार्डधारी परिवार हैं। विकासखंडवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वर्ष 2008-09 में 4152 राशनकार्ड तथा वर्ष 2009-10 में 37,604 राशन कार्ड निरस्त किये गये हैं।

बोरई औद्योगिक क्षेत्र में संचालित उद्योगों में ई.एस.पी. की स्थापना

5. (*क्र. 677) **श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बोरई औद्योगिक क्षेत्र में वर्तमान में कितने उद्योग संचालित हैं ? (ख) क्या बोरई औद्योगिक क्षेत्र में संचालित उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु ई.एस.पी. लगाया गया है ? यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) 70 उद्योग संचालित हैं। (ख) औद्योगिक विकास केन्द्र, बोरई में वृहद श्रेणी के वायु प्रदूषणकारी प्रकृति के संचालित तीन उद्योगों में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ई.एस.पी. स्थापित है। शेष वायु प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों में आवश्यकतानुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित किये गये हैं। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

उपभोक्ताओं को घरेलू गैस की सप्लाई तथा गैस एजेंसियों की जांच

6. (*क्र. 1603) **श्री देवजी भाई पटेल** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर शहर में कौन-कौन सी गैस एजेंसियों द्वारा किस-किस क्षेत्र में घरेलू गैस की सप्लाई की जा रही है ? एजेंसियों के नाम सहित, एजेन्सीवार उपभोक्ता संख्या बतावें ? (ख) दिनांक 01-01-10 से 31 जनवरी, 2011 तक इन एजेंसियों की जांच कौन-कौन अधिकारी कब-कब किए ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) रायपुर शहर में 19 गैस एजेंसियों के माध्यम से घरेलू गैस की सप्लाई की जा रही है। गैस एजेंसी का नाम, उपभोक्ता संख्या, सप्लाई क्षेत्र की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है। (ख) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है।

कसडोल विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बी.पी.एल. सर्वे सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या

7. (*क्र. 1499) **श्री राजकमल सिंघानिया** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखण्ड कसडोल, पलारी एवं बलौदा बाजार के आर.आई. सर्किल लवन अन्तर्गत वर्ष 2002 की बी.पी.एल. सर्वे सूची में दर्ज लोगों की संख्या कितनी है ? (ख) क्या वर्ष 2002 की बी.पी.एल. सर्वे सूची में शामिल सभी लोगों के राशनकार्ड बने हैं ? (ग) यदि नहीं, तो जिनके नाम छूटे हैं, उन लोगों के राशनकार्ड कब तक बनाये जायेंगे ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) वर्ष 2002 की बीपीएल सर्वे सूची में विकासखंड कसडोल में 16,594, विकासखंड पलारी में 9,904 तथा विकासखंड बलौदाबाजार के आर.आई. सर्किल लवन में 8,425 लोगों की संख्या दर्ज है। (ख) विकासखंड कसडोल, पलारी एवं बलौदाबाजार के आर.आई.सर्किल लवन के वर्ष 2002 की बीपीएल सर्वे सूची में शामिल सभी पात्र लोगों को राशनकार्ड जारी किया गया है। (ग) सर्वे सूची में शामिल ऐसे परिवार जिनके राशनकार्ड नहीं बने हैं, उनसे आवेदन प्राप्त होने उपरांत राशनकार्ड जारी करने की कार्यवाही की जावेगी।

जिला जांजगीर-चांपा में उद्योगों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के मापदण्डों का निरीक्षण

8. (*क्र. 575) **महन्त रामसुन्दर दास** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में स्थापित उद्योगों द्वारा 01 जनवरी, 2009 से 31 दिसंबर 2010 तक किन-किन उद्योगों में पर्यावरण संरक्षण मापदण्डों का निरीक्षण कब-कब कराया गया एवं किन-किन उद्योगों में अनियमितता पायी गयी ? (ख) जिले में उद्योग पर्यावरण संरक्षण का पालन नहीं करने वाले उद्योगों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जिला जांजगीर-चांपा में स्थापित उद्योगों में दिनांक 01 जनवरी 2009 से 31 दिसंबर 2010 तक किये गये निरीक्षण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“क” पर है. जिन उद्योगों में अनियमितता पाई गयी उनकी सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“ख” पर है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“ग” पर है.

सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र में स्व-सहायता समूह को आवंटित उचित मूल्य की दुकानें

9. (*क्र. 294) **श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कितनी-कितनी उचित मूल्य की दुकानें किस-किस स्व-सहायता समूह को कितनी अवधि के लिए दी गई है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 73 शासकीय उचित मूल्य दुकानें महिला स्व-सहायता समूहों को निष्पादित अनुबंध के प्रावधानों का पालन किये जाने तक की समय-सीमा हेतु आवंटित है. समूहवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु प्रदत्त सम्मति

10. (*क्र. 1293) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला जांजगीर एवं रायगढ़ में स्थापित हो चुके एवं संचालित हो रहे उद्योगों को छोड़कर वर्ष 2010-2011 में कितनी-कितनी क्षमता एवं लागत के कितनी-कितनी भूमि में ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा उद्योग की स्थापना हेतु सम्मति किन-किन शर्तों के अधीन कब-कब प्रदान की गई ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : जानकारी परिशिष्ट पर †† संलग्न है.

जांजगीर-चांपा जिले में धान के भण्डारण हेतु निर्माणाधीन गोदाम

11. (*क्र. 529) **श्री सौरभ सिंह** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले में धान का भंडारण करने के लिए कहां-कहां पर कितनी क्षमता के कितने गोदाम उपलब्ध हैं ? (ख) कितनी क्षमता के कितने गोदाम कहां-कहां पर कितनी लागत से किस ठेकेदार द्वारा बनाये जा रहे हैं ? इनका कार्य कब तक खत्म होगा ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) जांजगीर-चांपा जिले में धान भंडारण गोदाम में नहीं किया जाता है, बल्कि संग्रहण केन्द्रों के खुले फड़ में संग्रहित किया जाता है. (ख) जिले में धान भंडारण हेतु कोई भी नवीन गोदाम निर्माणाधीन नहीं है.

नगर पंचायत नई लेदरी तथा खोंगापानी को विभिन्न मद में स्वीकृत राशि

12. (*क्र. 170) **श्री फूलचंद सिंह** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत नई लेदरी एवं नगर पंचायत खोंगापानी को वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में 31 जनवरी तक किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि दी गई है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : नगर पंचायत नई लेदरी एवं नगर पंचायत खोंगापानी को वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में 31 जनवरी, 2011 तक दी गई मदवार राशि की जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है.

ग्राम बेलतरा में फिल मिनरल्स बेनेफिकेशन एण्ड एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड की स्थापना

13. (*क्र. 1548) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि बिलासपुर कटघोरा मार्ग पर ग्राम-बेलतरा जिला बिलासपुर में फिल मिनरल्स बेनेफिकेशन एण्ड एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड-कोलवाशरी की स्थापना की गई है ? यदि हां, तो इसकी स्थापना का दिनांक एवं संचालन प्रारंभ करने की तिथि सहित इस कोल वाशरी की प्रतिवर्ष क्षमता भी बतायें ? (ख) क्या यह सत्य है कि इस कोलवाशरी की स्थापना के पूर्व पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल संरक्षण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 का परिपालन नहीं किया गया है तथा इस कोलवाशरी की स्थापना हेतु राज्य शासन से पर्यावरण स्वीकृति असत्य शपथ पत्रों का सहारा लेकर प्राप्त की गयी है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जी हां. स्थापना तिथि-15-02-2010, संचालन प्रारंभ करने की तिथि 02-04-2010 एवं क्षमता 0.99 मिलियन टन/प्रति वर्ष है. (ख) उद्योग द्वारा स्थापना के पूर्व जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत सम्मति प्राप्त की है. साथ ही पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत दिनांक 01-02-2010 को संचालन के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की है. जी नहीं.

जिला रायगढ़ एवं जशपुर में घरेलू गैस की कालाबाजारी के दर्ज प्रकरणों पर कार्यवाही

14. (*क्र. 1465) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ एवं जशपुर जिला में किन-किन कम्पनियों के कुल कितने-कितने गैस एजेंसी संचालित हैं ? इन एजेंसियों में कितने-कितने उपभोक्ता पंजीकृत हैं ? जिलावार एजेंसी एवं उनके पंजीकृत उपभोक्ता संख्या की जानकारी दें. (ख) प्रश्नांक "क" में उल्लेखित जिलों में जनवरी, 2010 से दिसम्बर, 2010 तक तथा जनवरी, 2011 में 09-02-2011 तक गैस की कालाबाजारी के कुल कितने-कितने प्रकरण दर्ज किए गए हैं ? दर्ज प्रकरणों पर क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) रायगढ़ जिले में इंडियन ऑयल, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम एवं भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के 08 गैस एजेंसी तथा जशपुर जिले में इंडियन ऑयल के 04 गैस एजेंसी संचालित हैं. जिलेवार, एजेंसीवार पंजीकृत उपभोक्ता संख्या की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) प्रश्नांकित अवधि में रायगढ़ जिले में द्रविकृत पेट्रोलियम गैस के कालाबाजारी के कुल 10 प्रकरण दर्ज किये गये हैं. जशपुर जिले में कोई प्रकरण निर्मित नहीं हुआ है. रायगढ़ जिले में निर्मित प्रकरणों में 2,919 सिलेंडर जप्त किये गये तथा 06 प्रकरणों में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है.

जिला दुर्ग के क्रेसर संचालकों पर वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के तहत कार्यवाही

15. (*क्र. 607) **श्री ताम्रध्वज साहू** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले में कितने क्रेसर कहां-कहां संचालित हैं ? (ख) कितने क्रेसर गांव के पास एवं मुख्य सड़क के करीब स्थापित है ? क्या इन क्रेसर के संचालकों द्वारा वायु प्रदूषण निवारण नियम का पालन किया जा रहा है ? (ग) वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में कितने क्रेसर संचालकों को वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के धारा के तहत नोटिस दी गई है ? (घ) नियमों का पालन नहीं किये जाने पर कितने संचालकों पर कार्यवाही की गई ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जानकारी परिशिष्ट पर †† संलग्न है. (ख) 04 क्रशर गांव एवं मुख्य सड़क दोनों के पास, 05 क्रशर गांव के पास एवं 10 क्रशर मुख्य सड़क के पास स्थापित हैं. जी हां. (ग) 38 क्रशर इकाई/संचालकों को नोटिस जारी किये गये. (घ) 24 क्रशर इकाई/संचालकों को उत्पादन बंद करने के निर्देश दिये गये.

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार बिलासपुर द्वारा रायगढ़ जिले में जारी अस्थायी एवं स्थायी अनुज्ञा पत्र

16. (*क्र. 1058) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि 31-01-2011 की स्थिति में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिलासपुर द्वारा रायगढ़ जिले में किन-किन लोगों को कहां-कहां तक के लिए अस्थायी एवं स्थायी अनुज्ञा-पत्र कब-कब जारी किया गया, तथा कितने आवेदन लम्बित हैं ? मार्ग का रूट एवं टाइमिंग समेत विस्तृत जानकारी दें ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : 31-01-2011 की स्थिति में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिलासपुर द्वारा रायगढ़ जिले में 23 अस्थायी एवं 347 स्थायी अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये गये हैं। जिन लोगों को कहां से कहां तक के लिए अस्थायी एवं स्थायी अनुज्ञा पत्र कब-कब किस समय-सारणी के लिए जारी किये गये हैं, उसका विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र “अ” एवं “ब” पर दर्शित है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, बिलासपुर में स्थायी/अस्थायी परमिट स्वीकृति के लिए 37 आवेदन पत्र लम्बित है। इनमें से 08 प्रकरणों पर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिलासपुर द्वारा सुनवाई की जा चुकी है, आदेश हेतु सुरक्षित है। जिसका विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र “स” पर दर्शित है। 29 प्रकरणों में सुनवाई की तिथि निर्धारित की जा चुकी है। जिसका विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र “द” पर दर्शित है।

कमल विहार योजना अंतर्गत अधिग्रहित की गई भूमि

17. (*क्र. 1166) **श्री कुलदीप सिंह जुनेजा** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) “कमल विहार योजना” के तहत कुल कितनी भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है ? (ख) भूस्वामियों को अधिग्रहित की गई भूमि के एवज में कुल कितना भुगतान किया गया है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) अभी तक भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है। (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जांजगीर-चांपा जिले में धान की खरीदी

18. (*क्र. 1239) **श्री दूजराम बौद्ध** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2010-11 में जांजगीर-चांपा जिले में धान खरीदी केन्द्र कहां-कहां बनाये गये हैं ? प्रत्येक केन्द्र में कितनी-कितनी राशि से कितने-कितने क्विंटल धान दिनांक 31-01-2011 तक खरीदी गई है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : वर्ष 2010-11 में जांजगीर-चांपा जिले में स्थानवार धान खरीदी केन्द्रों की जानकारी एवं दिनांक 31-01-2011 तक केन्द्रवार खरीदे गये धान की मात्रा तथा धान का मूल्य की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

प्रदेश के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में बी.पी.एल. कार्डों का निरस्तीकरण

19. (*क्र. 1141) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 दिसम्बर, 2008 से 25 जनवरी, 2011 तक प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बी.पी.एल. के कुल कितने कार्ड निरस्त किये गये ? जिलेवार एवं माहवार बतायें। (ख) इनमें से कितने कार्ड ऐसे थे, जिनके कार्डधारी गरीबी रेखा से ऊपर आ जाने के कारण उनके कार्ड निरस्त किए गए ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) 01 दिसंबर, 2008 से 25 जनवरी, 2011 तक प्रदेश में बी.पी.एल. कुल 301421 कार्ड निरस्त किये गये हैं। जिलेवार माहवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) खाद्य विभाग द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण/परीक्षण नहीं किया जाता है। प्रश्नांकित अवधि में समय-समय पर राशनकार्डों का परीक्षण तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत राशनकार्ड के नवीनीकरण के मानदंडों के आधार पर अपात्र पाये गये 301421 राशनकार्डों को निरस्त किया गया है।

बागबाहरा नगर पंचायत द्वारा सेमेकित कर, जल कर हेतु प्रेषित प्रस्ताव पर कार्यवाही

20. (*क्र. 1566) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि राज्य के सभी नगर पंचायतों में सेमेकित कर, जल कर बढ़ाने का आदेश विभाग द्वारा जारी किया गया है ? यदि हां, तो कब से बढ़ाने का आदेश हुआ है ? (ख) क्या यह सही है कि बागबाहरा नगर पंचायत से बढ़े हुये सेमेकित कर, जल कर को कम करने या वापस लेने हेतु शासन को प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जी हां। विभाग के द्वारा प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 05-02-10 के द्वारा सेमेकित कर एवं जारी अधिसूचना दिनांक 12-01-2011 के द्वारा जल कर की दरों में वृद्धि की गई है। (ख) जी नहीं। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

कमल विहार योजना अन्तर्गत अधिग्रहित भूमि की मुआवजा

21. (*क्र. 19) **श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कमल विहार योजना के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा किस-किस दर पर भुगतान किया गया ? (ख) अधिग्रहित भूमि के विरुद्ध गरीबों के लिये कितनी भूमि आरक्षित रखी गई है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) योजना के अंतर्गत अभी तक भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है, अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है. (ख) छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 तथा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 में गरीबों के लिये 15 प्रतिशत भूमि आरक्षण करने का प्रावधान नहीं है, परन्तु, छत्तीसगढ़ नगर पालिक (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्ध तथा शर्तें) नियम, 1998 तथा छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (कालोनाइजर रजिस्ट्रीकरण निर्बन्ध तथा शर्तें) नियम, 1999 में कालोनाइजर्स द्वारा विकसित की गयी कालोनियों पर गरीबों के लिये भूमि आरक्षण/आश्रय शुल्क/निर्मित आवासीय भवन देने का प्रावधान है. इस परियोजना में तथापि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 49 एवं 50 में कमजोर आय वर्गों हेतु भूमि आरक्षण का प्रावधान नहीं है फिर भी योजना के अंतर्गत पुनर्गठित किये गये कुल विकसित भूखण्डों का 15 प्रतिशत क्षेत्र कमजोर आय वर्गों हेतु प्रावधानित किया गया है जिसे स्कीम के अभिन्यास में भी दर्शाया गया है. आरक्षित 80 एकड़ भूमि विकसित भूखण्ड के क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत है.

प्रदेश में धान की खरीदी एवं बोनस राशि का प्रदाय

22. (*क्र. 260) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में 20 जनवरी 2011 तक कितने मीट्रिक टन धान खरीदी समर्थन मूल्य में की गई ? जिलेवार बतायें. (ख) समर्थन मूल्य पतला एवं मोटा धान की प्रति क्विंटल क्या दर निर्धारित है ? केन्द्र शासन प्रति क्विंटल कितनी राशि बोनस के रूप में दे रही है तथा वर्तमान में राज्य सरकार कितनी राशि प्रति क्विंटल बोनस देता है ? बोनस राशि कब तक प्रदान की जावेगी ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) प्रदेश में समर्थन मूल्य पर 20 जनवरी, 2011 तक 38.64 लाख टन धान खरीदी की गई है. जिलेवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) समर्थन मूल्य पर पतला धान 1030 रुपये प्रति क्विंटल, मोटा धान 1000 रुपये प्रति क्विंटल दर निर्धारित है. केन्द्र शासन द्वारा वर्तमान खरीफ वर्ष 2010-11 में बोनस की घोषणा नहीं की गई है. राज्य सरकार द्वारा 50 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देय है. बोनस राशि की व्यवस्था की जा चुकी है. जिसका वितरण आगामी वित्तीय वर्ष में किया जायेगा.

जिला धमतरी में अनुदान हेतु लंबित प्रकरणों का निराकरण

23. (*क्र. 346) **श्री लेखराम साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमतरी जिले में ग्रामोद्योग से सहायता प्राप्त कितने उद्योग संचालित हैं ? (ख) ग्रामोद्योग में अनुदान प्राप्त करने हेतु कितने आवेदन वर्तमान में लंबित हैं एवं इनका निराकरण कब तक कर दिया जाएगा ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) 14 उद्योग संचालित हैं. (ख) ग्रामोद्योग में कोई भी आवेदन लंबित नहीं है. निराकरण का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

नई राजधानी में विधान सभा भवन, मंत्री/विधायकों के निवास निर्माण की योजना

24. (*क्र. 1448) **डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नई राजधानी में मंत्रालय के निर्माण के साथ विधान सभा भवन, राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, विधायकों के लिए आवास तथा शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के आवास आदि के निर्माण की भी योजना है ? (ख) यदि हां तो निर्माण आरंभ कब तक होगा ? (ग) क्या शासन रायपुर में वर्तमान शासकीय निर्माण कार्यों को रोककर उक्त राशि का उपयोग नई राजधानी क्षेत्र में निर्माण पर व्यय करेगी ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जी हां. नया रायपुर में समस्त शासकीय आवासों हेतु स्थल आरक्षित किया गया है. (ख) बजट की उपलब्धता के आधार पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावेगा. समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. (ग) रायपुर में सामान्य निर्माण

कार्यों पर कोई रोक लगाया जाना विचाराधीन नहीं है. अपितु समस्त राज्य स्तरीय कार्यालयों का निर्माण नया रायपुर में किये जाने का निर्णय लिया है. नया रायपुर में निर्माण हेतु पृथक से बजट प्रावधान किया जाना है.

नगर निगम अम्बिकापुर को सड़क निर्माण हेतु आवंटित राशि

25. (*क्र. 875) **श्री टी. एम. सिंहदेव** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम अम्बिकापुर को वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में सड़क निर्माण, जनपथ निर्माण एवं महामाया मार्ग निर्माण हेतु कुल कितनी राशि का आवंटन शासन द्वारा किया गया ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : नगर पालिक निगम अंबिकापुर को वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में सड़क निर्माण एवं महामाया मार्ग निर्माण हेतु शासन द्वारा आवंटित राशि का विवरण परिशिष्ट पर † संलग्न है.

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

रायपुर नगर निगम में जवाहर लाल नेहरू नवीनीकरण के अंतर्गत मकानों की स्वीकृति

1. (क्र. 261) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर में जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना के तहत गरीबों के लिये पक्का मकान के लिये कितनी राशि की स्वीकृति कब की गई तथा उसकी निर्माण एजेन्सी कौन है ? (ख) उक्त राशि से 20 जनवरी, 2011 तक कितनी राशि खर्च की गई तथा कितने मकान बनाये गये ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) रायपुर में जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत गरीबों के लिए पक्का मकान के लिए क्रमशः दिनांक 28-11-2006 को राशि रु. 39144.61 लाख एवं दिनांक 08-02-2010 को राशि रु. 3841.14 लाख की स्वीकृति की गई. इसकी निर्माण एजेन्सी क्रमशः एचपीएल नई दिल्ली (भारत सरकार का उपक्रम) नगर पालिक निगम रायपुर एवं छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल हैं. (ख) उक्त राशि से 20 जनवरी 2011 तक राशि रु. 89.53 करोड़ खर्च किये गये हैं तथा 10554 मकान निर्माणाधीन है.

आरंग विधान सभा क्षेत्र के धान संग्रहण केन्द्रों में संग्रहित धान

2. (क्र. 496) **श्री रूद्र कुमार गुरू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आरंग विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत किन-किन संग्रहण केन्द्रों में वर्ष 2010-11 में दिनांक 31 जनवरी, 2011 तक कितनी मात्रा में धान का संग्रहण किया गया है ? केन्द्रवार जानकारी दें. (ख) उक्त संग्रहण केन्द्रों में 2010-11 के लिए कितने-कितने बारदाना प्रत्येक केन्द्रों को किस-किस तारीख को प्रदान किये गये हैं ? (ग) बारदानों की कमी के कारण कहां-कहां पर धान खरीदी बंद रही तथा फड़ में जगह के अभाव के कारण कहां-कहां पर कितने दिन धान खरीदी बंद रही ? (घ) कितने क्विंटल धान खराब होने की जानकारी प्राप्त हुई है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) आरंग विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत लखौली में धान संग्रहण केन्द्र बनाया गया है. वर्ष 2010-11 में 31 जनवरी, 2011 तक उक्त संग्रहण केन्द्र में 1,30,830 टन धान का संग्रहण किया गया है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है. (ग) आरंग विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बारदाने की कमी के कारण धान खरीदी बंद नहीं थी. फड़ में जगह के अभाव के कारण नारा समिति में 03 दिन धान खरीदी बंद रही. (घ) धान खराब होने की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है.

प्रदेश में सोना मासूरी धान खरीदी की स्थिति

3. (क्र. 574) **महन्त रामसुन्दर दास** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में समस्त खरीदी केन्द्रों में सोना मासूरी नामक धान का पतला की श्रेणी में खरीदा जाता है ? यदि हां, तो जिला जांजगीर-चांपा के खरीदी केन्द्रों में मोटा की श्रेणी में क्यों खरीदा जाता है, बतावें ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए भारत सरकार द्वारा कॉमन (मोटा) एवं ग्रेड "ए" (पतला) धान के लिए मानदंड तय किये गये हैं. इसके आधार पर प्रदेश के जिन क्षेत्रों में सोना मासूरी धान कॉमन (मोटा) अथवा ग्रेड "ए" (पतला) श्रेणी में आता है, उसके आधार पर खरीदी की जाती है. जांजगीर जिले में सोना मासूरी प्रजाति के धान को भारतीय खाद्य निगम से विश्लेषण कराने पर कॉमन किस्म का पाये जाने के कारण कॉमन (मोटा) श्रेणी में खरीदा गया.

नगर पंचायत बनाने के मापदण्ड

4. (क्र. 967) **श्री रामपुकार सिंह** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत बनाने के क्या मापदण्ड हैं ? क्या ग्राम पंचायत कांसाबेल, कुनकुरी को नगर पंचायत बनाने के प्रस्ताव विचाराधीन है, यदि हां, तो कब तक गठन कर दिया जावेगा ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5 (1) (ख) के अन्तर्गत नगर पंचायत गठन हेतु उस क्षेत्र की जनसंख्या, जनसंख्या की सघनता, स्थानीय प्रशासन के लिए उत्पन्न राजस्व, कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन की प्रतिशतता के साथ-साथ विभाग की अधिसूचना दिनांक 28-02-2003 द्वारा संक्रमणशील क्षेत्र अर्थात् ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की

अधिसूचना हेतु पांच हजार से अधिक परंतु बीज हजार से कम आबादी का मापदण्ड निर्धारित किया गया है। ग्राम पंचायत कांसाबेल का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है किन्तु ग्राम पंचायत कुनकुरी को पुनः नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव लंबित है। भारत सरकार गृह मंत्रालय जनगणना कार्य निर्देशालय के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 10-12-2009 के अनुसार वर्ष 2011 में होने वाली जनगणना कार्य को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य की नगरीय निकायों एवं ग्राम स्तर की सीमाओं में दिनांक 31 मार्च, 2011 तक परिवर्तन पर रोक लगाई गई है। अतः गठन के समय में निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

रायगढ़ जिले में पंजीकृत घरेलू गैस कार्ड का सत्यापन

5. (क्र. 1059) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले के रायगढ़ शहर एवं अन्य शहरों में किनके-किनके पास इंडेन, एचपी एवं भारत गैस की एजेंसी है ? (ख) घरेलू एवं व्यावसायिक गैस के फर्जी कार्डों की जांच के लिए सत्यापन का कार्य वर्ष 2010-11 में कब-कब किसके द्वारा किया गया एवं कितने सही पाये गये एवं कितनों की निरस्ती की गयी ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) रायगढ़ जिले में 08 गैस एजेंसी संचालित हैं। विवरण † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) घरेलू गैस की फर्जी कार्डों की जांच के लिए सत्यापन कार्य 12 फरवरी, 2011 से प्रारंभ किया गया है। सत्यापन कार्य प्रचलित है। सत्यापन उपरांत फर्जी गैस कार्डों को निरस्त किया जावेगा।

रायपुर जिले में स्थापित पॉवर प्लांट

6. (क्र. 1142) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले में किन-किन पावर प्लांट की स्थापना कहां पर प्रस्तावित है ? (ख) इस स्थान पर प्रस्तावित किन-किन संयंत्र को प्रदेश के पर्यावरण विभाग द्वारा किन-किन शर्तों पर स्थल अनुमोदन की अनुशंसा केन्द्र सरकार को भेजी गई है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) रायपुर जिले में दो पॉवर प्लांट क्रमशः (01) मेसर्स जी.एम.आर. एनर्जी लिमिटेड, ग्राम रायखेड़ा, तहसील तिल्दा, जिला रायपुर तथा (02) मेसर्स लोटस पॉवरजेन प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम परसदा, तहसील राजिम, जिला रायपुर में प्रस्तावित है। (ख) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा प्रस्तावित किसी भी पावर प्लांट के स्थल अनुमोदन की अनुशंसा केन्द्र सरकार को नहीं भेजी गई है।

जिला विपणन संघ महासमुंद द्वारा धान भण्डारण एवं उठाव

7. (क्र. 1219) **श्री अग्नि चन्द्राकर** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला विपणन संघ "महासमुंद" द्वारा खरीफ वर्ष 2008, 2009 में कितनी मात्रा में धान का भण्डारण किया गया था ? कितनी मात्रा में धान कस्टम मिलिंग को दी गई ? (ख) क्या यह सही है कि भण्डारण पश्चात् कस्टम मिलिंग को दिये जाने के बाद उक्त अवधि में धान की कमी दर्ज की गई है ? (ग) यदि हां, तो धान कम पाये जाने का कारण क्या था ? कौन दौषी है ? क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) खरीफ विपणन वर्ष 2008-09 में महासमुंद जिले में संग्रहण केन्द्रों में 1,31,964 टन धान भंडारित किया गया था, तथा भण्डारण केन्द्र से कस्टम मिलिंग हेतु 1,27,682 टन धान प्रदाय किया गया। (ख) जी हां। (ग) धान कम पाये जाने का मुख्य कारण धान में सूखत होना है। जिन संग्रहण केन्द्रों में 4 प्रतिशत से अधिक कमी आयी है, उनके केन्द्र प्रभारियों को निलंबित किया गया है। जिन संग्रहण केन्द्रों में 1 से 4 प्रतिशत तक कमी पायी गई है, उनके केन्द्र प्रभारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रचलित है।

वर्ष 2009-2010 में धान की खरीदी

8. (क्र. 1294) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरीफ विपणन वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में कुल कितना-कितना धान खरीदा गया ? (ख) उपरोक्त वर्षों में उक्त उपार्जन केन्द्रों से अलग-अलग, कितना-कितना धान कस्टम मिलर्स तथा एफ.सी.आई. को प्रदाय किया गया ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) सहकारी समितियों द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2008-09 में 37.59 लाख टन एवं 2009-10 में 44.27 लाख टन धान की खरीदी की गई. (ख) खरीफ वर्ष 2008-09 में उपार्जन केन्द्रों से 14.98 लाख टन धान कस्टम मिलिंग हेतु राईस मिलर्स को तथा 9.09 लाख टन भारतीय खाद्य निगम को प्रदाय किया गया. खरीफ वर्ष 2009-10 में उपार्जन केन्द्रों से 21.35 लाख टन धान कस्टम मिलिंग हेतु राईस मिलर्स को प्रदाय किया गया. इस वर्ष उपार्जन केन्द्रों से भारतीय खाद्य निगम को धान प्रदाय नहीं किया गया.

रायगढ़ जिला में मुख्यमंत्री खाद्यान्न तथा अन्त्योदय योजना के हितग्राहियों के राशन कार्डों का सत्यापन

9. (क्र. 1466) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में रायगढ़ जिला में मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजनान्तर्गत तथा अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत कुल कितने कार्डधारी हितग्राही थे ? विकासखण्डवार राशन कार्डधारियों की संख्या बतावें ? (ख) वर्ष 2010-11 में 10-02-2011 तक राशन कार्डों के सत्यापन पश्चात् कुल कितने-कितने राशनकार्ड रद्द किये गये अथवा नया जोड़ा गया ? विकासखण्डवार सत्यापन के पश्चात् हितग्राहियों की संख्या बतावें ? (ग) राशनकार्डों के सत्यापन हेतु क्या-क्या मापदण्ड तय थे ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) रायगढ़ जिला में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना तथा अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत वर्ष 2008-09 में 1,83,028 एवं 2009-10 में 1,73,061 राशनकार्ड प्रचलन में थे. विकासखण्डवार राशन कार्डधारियों की जानकारी क्रमशः † संलग्न प्रपत्र “अ” एवं “ब” अनुसार है. (ख) 10 हजार से कम आबादी वाले नगरीय निकायों एवं ग्रामीण क्षेत्र के राशन कार्ड नवीनीकरण एवं अपात्र पाये गये राशनकार्ड डिलीट करने की कार्यवाही प्रचलन में है. अब-तक 11198 अपात्र राशन कार्ड चिन्हांकित कर डिलीट किया जा रहा है. विकासखण्डवार चिन्हांकित अपात्र राशन कार्डों की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “स” अनुसार है. (ग) राशनकार्डों के सत्यापन हेतु तय मापदंड † संलग्न प्रपत्र “द” अनुसार है.

अतारांकित प्रश्नोत्तर

भाटापारा अनुभाग में अवैध रूप से स्थापित मोबाईल टावरों पर कार्यवाही

1. (क्र. 233) **श्री चैतराम साहू** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले के भाटापारा अनुभाग के अन्तर्गत किस-किस कंपनी के कितने-कितने मोबाईल टावर स्थापित हैं ? (ख) क्या मोबाईल टावर स्थापना से पूर्व शासन एवं नगर पालिका/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत से अनुमति लेना अनिवार्य है ? (ग) यदि हां, तो किस-किस कंपनी के मोबाईल टावर कहाँ-कहाँ, कब-कब अनुमति से एवं कहाँ-कहाँ बिना अनुमति के स्थापित हैं ? (घ) अवैध स्थापित मोबाईल टावरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) रायपुर जिले के भाटापारा अनुभाग के अंतर्गत विभिन्न कंपनियों के कुल 24 मोबाईल टावर स्थापित हैं, जिसमें नगर पालिका भाटापारा में 19 मोबाईल टॉवर एवं नगर पंचायत सिमगा में 05 मोबाईल टॉवर स्थापित हैं, जानकारी प्रपत्र “अ” पर † संलग्न हैं. (ख) जी हां. मोबाईल टावर स्थापना के पूर्व निकाय से अनुमति लेना अनिवार्य है. (ग) अनुमति एवं बिना अनुमति के स्थापित विभिन्न कंपनियों के मोबाईल टावरों की जानकारी प्रपत्र “ब” पर † संलग्न है. (घ) न. पा. भाटापारा में अवैध रूप से स्थापित 05 मोबाईल टावर कंपनियों को नियमितीकरण करने एवं राशि जमा करने की सूचना निकाय द्वारा संबंधित कम्पनी को दी गई है. न. पं. सिमगा में अवैध मोबाईल टावर स्थापित नहीं है.

राज्य पर्यावरण मण्डल द्वारा जांजगीर-चांपा में कोल वॉशरी की स्थापना हेतु प्रदत्त अनुमति

2. (क्र. 556) **श्री सौरभ सिंह** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य पर्यावरण मण्डल द्वारा वर्ष 2009 और 2010 में जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत कहाँ-कहाँ पर, कितनी क्षमता की कोल वॉशरी लगाने के लिए कब-कब, किस-किस व्यक्ति और कम्पनी को कब-कब अनुमति प्रदान की गई है ? कितने प्रकरण कहाँ-कहाँ पर लंबित है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : जानकारी परिशिष्ट पर †† संलग्न है. वर्तमान में प्रश्नाधीन जिले में कोल वॉशरी लगाने के लिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से अनुमति हेतु कोई प्रकरण लंबित नहीं है.

जिला जांजगीर-चांपा में अटल आवास योजना की स्थिति

3. (क्र. 578) **महन्त रामसुन्दर दास** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में वर्ष 2008 से वर्ष 2010 तक किन-किन नगरों में अटल आवास योजना के तहत कितने-कितने आवास का निर्माण कराया गया ? (ख) जिले के स्वीकृत अटल आवास योजना के अधूरे कार्यों को कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जिला जांजगीर-चांपा में वर्ष 2008 से 2010 में जांजगीर में 100 नग अटल आवास बनाये गये हैं. (ख) जिले की स्वीकृत अटल आवास योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है, अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

जिला जांजगीर-चांपा में बी.पी.एल. राशन कार्डों का सत्यापन

4. (क्र. 579) **महन्त रामसुन्दर दास** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में बी.पी.एल. कार्डधारियों की संख्या कितनी है ? विकासखण्डवार पृथक-पृथक बतायें ? (ख) जिले में बी.पी.एल. राशन कार्ड के सत्यापन के पश्चात् कितने कार्डों को नगरीय क्षेत्रों में एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निरस्त किया गया है ? विकासखण्डवार पृथक-पृथक बतायें ? (ग) बी.पी.एल. कार्डधारियों को शासन के ओर से क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जाती है ? नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पृथक-पृथक बतायें ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) जिला जांजगीर-चांपा में 2,24,077 बीपीएल राशनकार्डधारी हैं. विकासखंडवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है. (ग) खाद्य विभाग द्वारा नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल कार्डधारियों को शासकीय उचित मूल्य दुकान से चावल, गेहूं, शक्कर, अमृत नमक तथा केरोसिन रियायती दर पर प्रदाय किया जाता है.

आवासीय कॉलोनी से संयंत्र स्थापित करने हेतु दूरी का मापदण्ड

5. (क्र. 681) **श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पर्यावरण के मापदण्डों के अनुसार आवासीय कॉलोनी से कितनी दूरी पर संयंत्र स्थापित किया जाना चाहिए ? (ख) भिलाई स्थित जे. पी. सीमेण्ट संयंत्र से आवासीय कॉलोनी की दूरी कितनी है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) संयंत्र की स्थापना अनुमति हेतु आवासीय कॉलोनी से न्यूनतम दूरी संबंधी प्रावधान नियमों में नहीं है. (ख) मेसर्स जे.पी.सीमेण्ट लिमिटेड, भिलाई से निकटस्थ आवासीय कॉलोनी की दूरी लगभग 300 से 500 मीटर है.

जिला रायगढ़ तथा कोरबा में प्रदूषण नियंत्रण हेतु किए गए उपाय

6. (क्र. 793) **श्री हृदयराम राठिया** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ तथा कोरबा जिले में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण की मात्रा कितनी है ? पृथक-पृथक जानकारी दें. (ख) उक्त जिले में, वायु एवं जल में कौन-कौन से तत्व, कितनी-कितनी मात्रा में मौजूद है ? (ग) क्या यह तत्व मानव जीवन तथा पशु-पक्षियों व पेड़-पौधों के लिए हानिकारक है ? यदि हां, तो उसके नियंत्रण हेतु क्या-क्या उपाय किए गए हैं ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ”, “ब” एवं “स” पर है. (ग) वायु मंडल में धूल कणों की मात्रा मानक से कुछ अधिक पाया गया है तथापि मानव जीवन, पशु-पक्षियों एवं पेड़-पौधों में हानि होने जैसी स्थिति नहीं है. नदी की जल गुणवत्ता आई एस 2296 के अनुसार श्रेणी “ब” के अंतर्गत है, जो कि नहाने योग्य है. शहरी क्षेत्र में परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार के दृष्टिगत स्थानीय निकायों द्वारा सड़कों का पक्कीकरण, कचरों का वैज्ञानिक पद्धति से प्रबंधन/अपवहन, वृक्षारोपण आदि हेतु कार्यवाही की जाती है. साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा धूल कणों के नियंत्रण हेतु उद्योगों में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का सतत् संचालन सुनिश्चित करने, उत्सर्जन मानकों के भीतर रखने, सघन वृक्षारोपण करने, ठोस अपशिष्टों का सुरक्षित अपवहन करने, आंतरिक सड़कों को पक्का करने आदि हेतु निर्देश दिये जाकर कार्यवाही की जाती है.

जिला जशपुर में संचालित अन्नपूर्णा दाल भात सेंटर

7. (क्र. 968) **श्री रामपुकार सिंह** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जशपुर में अन्नपूर्णा दाल भात केन्द्रों का संचालन कहाँ-कहाँ किया जाता है ? संचालनकर्ता के नाम सहित विकासखंडवार जानकारी दें ? (ख) उल्लेखित केन्द्रों को खाद्यान्न प्रदाय की मात्रा क्या है तथा केन्द्रों में प्रतिदिन कितने लोग लाभान्वित होते हैं ? विकासखंडवार जानकारी दें ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) जशपुर जिले में 04 अन्नपूर्णा दाल भात केन्द्र संचालित हैं. विवरण †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में स्थापित अवैध मोबाईल टावरों पर कार्यवाही

8. (क्र. 1068) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में किस-किस कंपनी के मोबाईल टावर कहाँ-कहाँ अनुमति के साथ या बिना अनुमति के स्थापित हैं ? अनुमति की शर्तें क्या हैं ? (ख) बिना अनुमति वाले मोबाईल टावर स्थापना के विरुद्ध नगर निगम रायगढ़ द्वारा क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गई है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में अनुमति प्राप्त कर स्थापित विभिन्न कंपनियों के मोबाईल टावरों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” पर है. अनुमति की नियम शर्तें पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” पर है. (ख) बिना अनुमति मोबाईल टावरों की संख्या निरंक है. अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है.

रायगढ़ जिले में बी.पी.एल. राशनकार्डों का सत्यापन

9. (क्र. 1069) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में 10 हजार से अधिक आबादी वाले नगरीय संस्थाओं में वार्डवार कितने-कितने बीपीएल कार्ड थे ? जांच में वार्डवार कितने अपात्र लोगों की निरस्ती की गयी है ? सत्यापन के मापदण्ड क्या थे ? (ख) जिले में 10 हजार से कम आबादी वाले नगर एवं ग्राम पंचायतों में पंचायतवार कितने-कितने राशन कार्ड जांच के पूर्व विद्यमान थे, तथा जांच में कितने अपात्र लोगों के कार्ड निरस्त किये गये ? सत्यापन के मापदण्ड क्या थे ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) रायगढ़ जिले में 10 हजार से अधिक आबादी वाले नगरीय निकायों में पूर्व में प्रचलित वार्डवार बीपीएल कार्ड एवं जांच में पाये गये अपात्र राशन कार्ड की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“एक” अनुसार है. राशन कार्ड सत्यापन के मापदण्ड पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” अनुसार. (ख) जिले में 10 हजार से कम आबादी वाले नगरीय निकायों में वार्डवार एवं ग्राम पंचायतों में पूर्व में प्रचलित बीपीएल कार्ड एवं जांच में पाये गये अपात्र राशन कार्ड की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “दो” अनुसार है. राशन कार्ड सत्यापन के मापदण्ड पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” अनुसार.

प्रदेश की सीमाओं में स्थित परिवहन चौकियों का कम्प्यूटराईजेशन

10. (क्र. 1152) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में प्रदेश की सीमाओं पर कितनी परिवहन चौकियां स्थित हैं ? (ख) इनमें से किन-किन चौकियों को इंटीग्रेटेड कम्प्यूटराईज्ड चौकी बनाने का कार्य कब से प्रगति पर है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) प्रदेश की सीमाओं पर 15 परिवहन जांच चौकी एवं 02 उप जांच चौकी स्थित है. विवरण † संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) इन जांच चौकियों में से परिवहन जांच चौकी पाटेकोहरा, जिला-राजनांदगांव, खम्हारपाली जिला महासमुंद एवं धनवार, जिला-सरगुजा को इंटीग्रेटेड कम्प्यूटराईज्ड जांच चौकी की रूप में उन्नयन करने की कार्यवाही की गई है, यथा :-

1. **परिवहन जांच चौकी पाटेकोहरा, जिला-राजनांदगांव :-**
एकीकृत जांच चौकी निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा कार्यादेश चयनित एजेंसी को दिनांक 26-08-2006 को जारी किया गया है तथा निर्माण कार्य दिनांक 25-05-2009 को पूर्ण किया गया है. नवनिर्मित भवन में परिवहन, वाणिज्यिक कर, खनिज, वन, कृषि उपज मण्डी विभाग दिनांक 31-08-2009 से कार्यरत हैं. कम्प्यूटर तौलकांटे आदि लगाने संबंधित कार्यवाही प्रचलन में है.
2. **खम्हारपाली जिला-महासमुन्द :-**
एकीकृत जांच चौकी निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा कार्यादेश चयनित एजेंसी को दिनांक 30-12-2006 को जारी किया गया है तथा निर्माण कार्य दिनांक 29-05-2009 को पूर्ण किया गया है. नवनिर्मित भवन में परिवहन, वाणिज्यिक कर, वन, कृषि उपज मण्डी विभाग दिनांक 01-12-2009 से कार्यरत हैं. कम्प्यूटर तौलकांटे आदि लगाने संबंधित कार्यवाही प्रचलन में है.
3. **धनवार जिला-सरगुजा :-**
एकीकृत जांच चौकी निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग, संभाग रामानुजगंज, द्वारा कार्यादेश चयनित एजेंसी को दिनांक 25-11-2006 को जारी किया गया है तथा निर्माण कार्य दिनांक 09-04-2010 को पूर्ण किया गया है. नवनिर्मित भवन में परिवहन के अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा दिनांक 28-12-2010 से कार्य किया जा रहा है. कम्प्यूटर तौलकांटे आदि लगाने संबंधित कार्यवाही प्रचलन में है.

धमतरी जिला में गोकुल नगर योजनांतर्गत प्राप्त आवंटन, व्यय एवं वर्तमान स्थिति की जानकारी

11. (क्र. 1193) **श्री गुरुमुख सिंह होरा** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमतरी जिला में गोकुल नगर योजना कब से प्रारंभ की गई ? उक्त योजना शासन द्वारा प्रदान की गई. (ख) उक्त योजना को कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) धमतरी जिले में किसी भी नगरीय निकाय में गोकुल नगर योजना प्रारंभ नहीं की गई है. जी नहीं. (ख) “क” के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

भाटापारा एवं सिमगा नगर पालिका क्षेत्र में बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. कार्डधारियों की जानकारी

12. (क्र. 1204) **श्री चैतराम साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगरपालिका क्षेत्र भाटापारा एवं सिमगा में कितने बी.पी.एल. व ए.पी.एल. कार्डधारी हैं ? (ख) क्या उल्लेखितनुसार सभी शासन के निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप हैं ? यदि नहीं, तो फर्जी कार्डधारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) नगरपालिका क्षेत्र भाटापारा में बी.पी.एल. के 7559 एवं ए.पी.एल. के 5363 राशनकार्ड धारी हैं. नगर पंचायत क्षेत्र सिमगा में बी.पी.एल. के 1742 एवं ए.पी.एल. 718 राशनकार्ड धारी हैं. (ख) जी हां.

नई राजधानी में निर्माण कार्यों की स्थिति तथा उपलब्ध सुविधाएं

13. (क्र. 1445) **श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नई राजधानी का मास्टर प्लान किसके द्वारा तैयार किया गया है तथा इसमें कितना खर्च हुआ ? नई राजधानी में कौन-कौन से भवन निर्मित हो चुके हैं तथा कौन-कौन से निर्माणाधीन हैं ? (ख) नई राजधानी में नागरिकों के लिए क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी ? (ग) नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) नया रायपुर का मास्टर प्लान कन्सलटेन्सी इंजीनियरिंग सर्विसेस नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया है. प्रूफ रीडिंग एवं विशेषज्ञ सलाह के लिये सिडको नवीं मुंबई की सेवायें ली गई हैं. मास्टर प्लान तैयार करने में कुल राशि रुपये 2,49,60,388/- व्यय हुआ है. नया रायपुर में मंत्रालय भवन एवं विभागाध्यक्ष भवन निर्माणाधीन है. इसके अलावा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा आवासीय कालोनी का निर्माण किया जा रहा है. (ख) सुविधाओं की जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न है. (ग) भौतिक अधोसंरचना के तहत सड़क एवं जल प्रदाय हेतु निर्माण कार्य प्रगति पर है. विद्युत, दूरसंचार हेतु निविदायें आमंत्रित की गई हैं. अन्य अधोसंरचनाओं हेतु परियोजनायें तैयार की जा रही हैं. सामाजिक एवं मनोरंजन संबंधी सुविधा हेतु भी परियोजना तैयार कर क्रियान्वयन की कार्यवाही विभिन्न चरणों में की जायेगी.

राजनांदगांव नगर निगम को गोकुल नगर योजना आवंटित राशि

14. (क्र. 1546) **श्री भोलाराम साहू** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम राजनांदगांव को गोकुल नगर योजना अंतर्गत दिनांक 09-02-2011 की स्थिति में कब-कब, कितनी-कितनी, राशि किन-किन कार्यों बाबत प्रदान की गई है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : नगर निगम राजनांदगांव को गोकुल नगर योजना अंतर्गत दिनांक 09-02-2011 की स्थिति में प्रदान की गई राशि की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	कार्य का विवरण	जारी दिनांक	(राशि लाख रु. में) प्रदत्त राशि
	सड़क निर्माण	27-02-2004	10.00
	नाली निर्माण	24-05-2005	56.20
	कल्वर्ट निर्माण		
	स्माल टैंक निर्माण	28-02-2005	22.00
	स्टाप डेम निर्माण		
	कम्युनिटी हाल निर्माण		
	जल प्रदाय व्यवस्था		
	वृक्षारोपण कार्य		
	विद्युतीकरण कार्य		
	बस स्टाप		
	लोडिंग/अनलोडिंग रैम्प		
	सार्वजनिक शौचालय		
		योग	88.20

जिला राजनांदगांव में उचित मूल्य की दुकानों से ए.पी.एल. कार्डधारियों को प्रदत्त खाद सामग्री

15. (क्र. 1547) **श्री भोलाराम साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजनांदगांव जिला अंतर्गत कितनी उचित मूल्य की दुकानों से कितने ए.पी.एल. कार्डधारियों को, कौन-कौन सी खाद्य सामग्री, किस दर से, वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में दिनांक 09-02-11 की स्थिति तक प्रदान की गई है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : राजनांदगांव जिले में वर्ष 2009-10 में प्रदेश शासन द्वारा जारी सफेद ए.पी.एल. कार्डधारियों को खाद्य सामग्री उचित मूल्य दुकान से वितरित नहीं की गई है. वर्ष 2010-11 में प्रदेश शासन द्वारा जारी सफेद ए.पी.एल. के 136156 कार्डधारियों को 32,950 क्विंटल चावल, 13.00 रुपये प्रति किलो की दर से तथा 17,110 क्विंटल गेहूं, 10.00 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया गया है.

ग्राम बेलतरा जिला बिलासपुर के कोलवाशरी में कोयले के वाशरी की मात्रा

16. (क्र. 1551) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम बेलतरा जिला बिलासपुर में कौन-कौन सी कोलवाशरी दिनांक 9 फरवरी, 2011 की स्थिति में कार्यरत है ? वर्ष 2009-2010 एवं 2010-2011 में उक्त कोलवाशरी में कितने टन कोयले की वाशरी हुई है ? (ख) क्या यह सत्य है कि ठोस अपशिष्ट अधिनियम के तहत कोयले का परिवहन खुली गाड़ियों या ट्रकों में नहीं होना चाहिए ? यदि हां, तो क्या नियमों का पालन किया जा रहा है ? (ग) क्या यह सत्य है कि प्रश्न (क) में पूछे गये कोलवाशरी द्वारा पर्यावरण नियमों का पालन नहीं करने से कोलवाशरी के आसपास क्षेत्र प्रदूषित हो गया है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) दिनांक 9 फरवरी 2011 की स्थिति में ग्राम-बेलतरा, जिला-बिलासपुर में मेसर्स फिल मिनरल्स बेनिफिकेशन एण्ड एनर्जी प्रा. लि., कार्यरत है. वर्ष 2009-2010 के दौरान उद्योग में उत्पादन प्रारंभ न होने के कारण से कोलवाशिंग का काम नहीं किया गया. वर्ष 2010-2011 में 9 फरवरी 2011 तक 267812 मीट्रिक टन कोयले की वाशिंग की गई. (ख) जी हां. उद्योग द्वारा कोयले का परिवहन कवर्ड वाहनों में किया जाता है. (ग) जी नहीं.

महासमुंद जिला में यात्री बसों हेतु जारी परमिट

17. (क्र. 1573) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद जिला में वर्ष 2010-2011 में 31 जनवरी, 2011 की स्थिति में कुल कितने यात्री बसों को स्थायी एवं अस्थायी परमिट, कहां से कहां तक, प्रतिदिन कितने फेरों के लिये, किस तिथि के लिये, किसके द्वारा जारी किया गया है ? (ख) प्रश्नांक "क" के परमिटधारियों के खिलाफ, यात्री सेवा परमिट के आधार पर नहीं किये जाने की कुल कितनी शिकायतें पिछले 2 वर्षों में प्राप्त हुई ? एवं क्या कार्यवाही की गई ? (ग) वर्ष 2009-2010 एवं 2010-2011 में 31 जनवरी की स्थिति में परमिटधारियों द्वारा यांत्रिकी व्यवधान होने के कारण किसके-किसके द्वारा परमिट जमा किये गये ? (घ) वर्तमान में कितने परमितों के आवेदन लम्बित हैं ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) महासमुंद जिले में वर्ष 2010-2011 में 31 जनवरी, 2011 की स्थिति में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, रायपुर द्वारा 02 यात्री वाहन को 02 स्थायी परमिट तथा 80 यात्री वाहनों को 471 अस्थायी परमिट स्वीकृत किये गये हैं. मार्ग, प्रतिदिन संचालित फेरों की संख्या, वैधता आदि का विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ" एवं "ब" में दर्शित है. (ख) परमिट शर्त के आधार पर बस संचालन नहीं करने वाले 06 परमिटधारियों के खिलाफ शिकायतें विगत 02 वर्षों में प्राप्त हुई है, जिन पर कार्यवाही हेतु परिवहन उड़न-दस्ता, रायपुर को निर्देशित किया गया है. कार्यवाही प्रचलन में है. तथापि 52 यांत्रियों पर कार्यवाही की जाकर रु. 29,700/- का राजस्व वसूल किया गया है. (ग) वर्ष 2009-2010 में यांत्रिकी खराबी होने का कारण बताते हुए 09 परमिट जमा किये गये. इसी प्रकार वर्ष 2010-2011 में 31 जनवरी, 2011 तक 08 परमिट जमा किये गए हैं. विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "स" पर दर्शित है. (घ) वर्तमान में स्थायी परमिट के 08 आवेदन एवं अस्थायी परमिट के 35 आवेदन-पत्र लम्बित हैं.

रायगढ़ जिले में धान की खरीदी तथा कस्टम मिलिंग

18. (क्र. 1596) **श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में वर्ष 2010-11 में कितने धान की खरीदी की गई ? (ख) कितना धान भारतीय खाद्य निगम को प्रदान किया गया है ? (ग) कितने धान की कस्टम मिलिंग किया जा चुका है ? (घ) कस्टम मिलिंग का कितना चावल भारतीय खाद्य निगम में जमा किया गया है एवं कितना चावल नागरिक

आपूर्ति निगम में जमा किया गया है ? गोदामवार विवरण दें ? चावल में कितने प्रतिशत कनकी की छूट है ? (ड) असमय वर्षा होने से धान में खराबी आने के कारण टूट (कनकी) बढ़ने पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कोई अतिरिक्त छूट दी गई है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) रायगढ़ जिले में वर्ष 2010-11 में 3,74,846 मे. टन धान की खरीदी की गई है. (ख) खरीदे गये धान में से 13,993 मे. टन धान भारतीय खाद्य निगम को प्रदाय किया गया. (ग) खरीदे गये धान में से 1,83,053 मे. टन धान की कस्टम मिलिंग किया जा चुका है. (घ) कस्टम मिलिंग अन्तर्गत 65,175.06 मे. टन चावल भारतीय खाद्य निगम में एवं 42,732.97 मे. टन चावल नागरिक आपूर्ति निगम में जमा किया गया है. गोदामवार जमा चावल की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. भारत सरकार के तय मानदंड अनुसार “अरवा” चावल में 25 एवं “उसना” चावल में 16 प्रतिशत कनकी की छूट है. (ड) जी नहीं.

रायगढ़ जिले में अवैध रूप से स्थापित मोबाईल टॉवरों पर कार्यवाही

19. (क्र. 1597) **श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मोबाईल टॉवर स्थापित करने हेतु शासन/नगर निगम/नगर पंचायत की अनुमति लेना आवश्यक है ? यदि हां, तो रायगढ़ जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में किस-किस कंपनी मोबाईल टॉवर अनुमति/बिना अनुमति के कहां-कहां स्थापित किए गए हैं ? (ख) अवैध रूप से स्थापित टॉवरों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? नाम सहित जानकारी दें ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जी हां. रायगढ़ जिले के नगरीय क्षेत्रों में अनुमति/बिना अनुमति के स्थापित विभिन्न कंपनियों के मोबाईल टॉवरों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” पर है. (ख) अवैध रूप से स्थापित टॉवरों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” पर है.

कसडोल विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत उचित मूल्य की दुकानें संचालित करने हेतु प्राप्त आवेदनों की स्वीकृति

20. (क्र. 1600) **श्री राजकमल सिंघानिया** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखंड कसडोल, पलारी एवं बलौदा बाजार के आर.आई. सर्किल लवन अन्तर्गत वर्तमान में कुल कितनी उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं ? (ख) वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में विकासखंड कसडोल, पलारी एवं बलौदा बाजार के आर.आई. सर्किल लवन अन्तर्गत किन-किन गांवों में उचित मूल्य की दुकान खोलने हेतु आवेदन प्राप्त हुए ? (ग) प्राप्त आवेदनों में से कितने पर स्वीकृति हो गई एवं कितने की नहीं ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) विकासखंड कसडोल, पलारी एवं बलौदाबाजार के आर.आई. सर्किल लवन अंतर्गत 30 शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालित है. (ख) वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में विकासखंड पलारी के अंतर्गत सोनारदेवरी, मल्लिन, खपरी (स) तथा बलौदाबाजार के आर.आई. सर्किल लवन अंतर्गत डोटोपार, तिल्दा, अमलकुण्डा, बिटकुली एवं विकासखंड कसडोल के अंतर्गत महाराजी, अवरार्ई, खरीं, सिनोधा एवं कसडोल में उचित मूल्य की दुकान खोलने हेतु आवेदन प्राप्त हुए थे. (ग) प्राप्त आवेदनों में से विकासखंड पलारी में सोनारदेवरी, बलौदाबाजार के आर.आई. सर्किल लवन के अंतर्गत ग्राम पंचायत तिल्दा, ग्राम पंचायत अमलकुण्डा (निलंबित दुकानें बहाल) की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है. बिटकुली हेतु प्राप्त आवेदन पर अनुविभागीय अधिकारी बलौदाबाजार द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है. विकासखंड पलारी, ग्राम पंचायत मल्लिन में दुकान आवंटन की प्रक्रिया जारी है. खपरी (स) तथा बलौदाबाजार के आर.आई. सर्किल लवन के अंतर्गत डोटोपार की दुकान स्वीकृत नहीं हुई है. कसडोल विकासखंड अंतर्गत सिनोधा एवं कसडोल की दुकान स्वीकृत की जाकर सिनोधा में दुकान प्रारंभ की जा चुकी है. कसडोल की दुकान हेतु नया आईडी नम्बर प्राप्त किया जा चुका है, दुकान प्रारंभ करने की प्रक्रिया जारी है. महाराजी, अवरार्ई एवं खरीं में दुकान प्रारंभ करने की प्रक्रिया जारी है.

विधान सभा क्षेत्र कसडोल अंतर्गत सहकारी समितियों को बारदाना की आपूर्ति

21. (क्र. 1601) **श्री राजकमल सिंघानिया** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010-2011 (9 फरवरी, 2011 तक) में विकासखंड कसडोल, पलारी एवं बलौदाबाजार के आर.आई. सर्किल लवन अंतर्गत सहकारी समितियों को कुल कितनी-कितनी मात्रा में बारदाना की आपूर्ति की गई ? इन समितियों द्वारा धान खरीदी केन्द्रों को कितनी-कितनी मात्रा में, बारदाना दिया गया ? (ख) क्या, बारदाना की आपूर्ति में कमी होने से धान की खरीदी बंद रही ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) वर्ष 2010-2011 में (9 फरवरी, 2011 तक) विकासखण्ड कसडोल, पलारी एवं बलौदाबाजार के आर.आई. सर्किल लवन अंतर्गत सहकारी समितियों को प्रदाय बारदानों की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) बारदाना के अभाव में किसी भी समिति में धान खरीदी बंद नहीं रही.

बुनकरों/हस्त शिल्पकारों द्वारा निर्मित सामग्रियों के शासकीय कार्यालय में खरीदी संबंधी जारी निर्देश

22. (क्र. 1605) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बुनकरों/हस्तशिल्पों को प्रोत्साहित करने के लिए इनके द्वारा बनाए गए सामानों को शासकीय कार्यालयों में खरीदी के निर्देश है ? यदि हां तो क्या ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : जी हां. छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2004) के नियम-8 में दिये गये प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में समस्त विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों तथा समस्त कलेक्टरों को शासकीय वस्त्र क्रय आदेश, नोडल एजेंसी, छ.ग. राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित रायपुर एवं छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को प्रदान किये जाने के निर्देश जारी किए गये हैं. इसी प्रकार हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करने के लिए भण्डार क्रय नियम-8.2 में यह प्रावधान है कि छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित बेलमेंटल, लौह, काष्ठ, बांस, शीशल, कौड़ी आदि शिल्प सामग्रियों तथा शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों, कार्यालयों एवं विश्राम गृहों में उपयोग होने वाली ऐसी स्टेसनरी एवं सजावटी सामग्री ग्रामोद्योग विभाग के हस्तशिल्प प्रकोष्ठ से क्रय करने हेतु पृथक से निविदा बुलाना आवश्यक नहीं होगा.

अवैध रूप से संचालित मांस/ब्रायलर विक्रय के दुकानों पर कार्यवाही

23. (क्र. 1606) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर क्षेत्र में कहां-कहां पर मांस/ब्रायलर विक्रय करने की अनुमति दी गई है ? (ख) क्या कंडिका "क" के इलाकों में अवैध मांस/ब्रायलर विक्रय हेतु दुकानें संचालित हो रही हैं ? यदि हां, तो इसकी जांच वर्ष 2010-11 में कौन-कौन से अधिकारी कब-कब किए, और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) रायपुर क्षेत्र में जवाहर बाजार, अमरदीप टाकीज के सामने निर्मित मटन मार्केट में मांस/ब्रायलर विक्रय करने की अनुमति दी गई है. (ख) जी हां. अवैध मांस/ब्रायलर विक्रय हेतु संचालित दुकानों की जांच अधिकारी का पद नाम, जांच की तिथि तथा संबंधित के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट पर †† संलग्न है.

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारांकित प्रश्न संख्या 01 (क्र. 1542) की जानकारी]

क्रमांक	निकाय का नाम	चिन्हांकित अवैध मोबाईल टावर कंपनियों का नाम	अवैध रूप से स्थापित मोबाईल टावर कंपनी पर दि. 09-02-11 की स्थिति में की गई कार्यवाही
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	न. नि. राजनांदगांव	1. भारत संचार निगम लिमिटेड 2. वोडाफोन एस्सार स्पेसटेल लिमिटेड.	1. नगर निगम राजनांदगांव के द्वारा भारत संचार निगम लिमिटेड राजनांदगांव को बिना अनुमति स्थापित टावर के संबंध में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से विकास अनुज्ञा एवं भू-स्वामी के संबंध में विधिसम्मत दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया है. 2. नगर निगम राजनांदगांव के द्वारा वोडाफोन एस्सार स्पेसटेल लि. भोपाल को पेन्डी में भूमि में बिना अनुमति स्थापित मोबाईल टावर के संबंध में मान. उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 28-06-10 के अनुसार अनुमति शुल्क की राशि रु. 75000/- विभिन्न शर्तों के अधीन निगम कोष में जमा करने हेतु नोटिस क्र. 135/लायसेंस/10-11 दि. 28-01-11 जारी किया गया है.
2.	न. पा. डोंगरगढ़	भारतीय इन्फ्राटेल लिमिटेड	नगर पालिका डोंगरगढ़ के द्वारा पत्र क्र. 586 दिनांक 08-12-08, को प्राप्त आवेदन में सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने बाबत एवं द्वितीय पत्र क्रमांक 03 दिनांक 03-04-2010 को पुनः स्मरण पत्र तृतीय सूचना पत्र दिनांक 08-06-2010 को टावर हटाने के संबंध में अंतिम सूचना पत्र एवं दिनांक 04-11-2010 को टावर हटाने हेतु स्मरण पत्र दिनांक 16-11-2010 को पुनः स्मरण दिनांक 2010 को डिमांड नोटिस दिया गया.
पुनः 29-12-			
3.	न. पा. खैरागढ़		निरंक
4.	न. पं. गण्डई	1. भारत दूरसंचार निगम	न. पं. गण्डई के पत्र क्र. 3896 दिनांक 15-02-11 के द्वारा कंपनी को अनुमति प्राप्त करने एवं निर्धारित शुल्क जमा करने नोटिस दिया गया है.
5.	न. पं. छुईखदान		निरंक
6.	न. पं. अंबागढ़-चौकी	1. भारती एयरटेल लिमिटेड 2. मे. क्यूपो टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड.	1. न. पं. अंबागढ़-चौकी के द्वारा विद्युत मंडल को विद्युत संयोजन विच्छेदन हेतु पत्र क्र. 148 दि. 03-05-10 द्वारा नोटिस दिया गया है. तदुपरांत विद्युत संयोजन विच्छेदित किया गया है. 2. न. पं. अंबागढ़-चौकी के द्वारा विद्युत मंडल को विद्युत संयोजन विच्छेदन हेतु पत्र क्र. 147 दि. 03-05-10 द्वारा नोटिस दिया गया है. तदुपरांत विद्युत संयोजन विच्छेदित किया गया है.

(1)	(2)	(3)	(4)
		3. भारत संचार निगम लिमिटेड.	3. न. पं. अंबागढ़-चौकी के द्वारा प्रभारी अधिकारी भारत संचार निगम लिमिटेड को दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पत्र क्रमांक 920 दिनांक 20-01-11 द्वारा नोटिस दिया गया है तथा नियमितीकरण हेतु कार्यवाही की जा रही है.
7.	न. पं. डोंगरगांव		निरंक
8.	न. पं. छुरिया	1. भारत संचार निगम लिमिटेड	1. न. पं. छुरिया के पत्र क्र. 130 दिनांक 02-12-10 तथा क्र. 20 दिनांक 27-01-11 द्वारा कंपनी को नोटिस जारी किए गए हैं.
		2. आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड	2. न. पं. छुरिया के पत्र क्र. 133 दिनांक 02-12-10 तथा क्र. 23 दिनांक 27-01-11 द्वारा कंपनी को नोटिस जारी किए गए हैं.
		3. एयरटेल मोबाईल टावर लि.	3. न. पं. छुरिया के पत्र क्र. 132 दिनांक 02-12-10 तथा क्र. 22 दिनांक 27-01-11 द्वारा कंपनी को नोटिस जारी किए गए हैं.
		4. रिलायंस इंडिया मोबाईल लि.	4. न. पं. छुरिया के पत्र क्र. 131 दिनांक 02-12-10 तथा क्र. 21 दिनांक 27-01-11 द्वारा कंपनी को नोटिस जारी किए गए हैं.

परिशिष्ट “दो”
[तारांकित प्रश्न संख्या 04 (क्र. 1126) के भाग (क) की जानकारी]

दुर्ग जिले में विकासखंडवार राशनकार्डों का विवरण

क्र. (1)	विकासखंड का नाम (2)	बीपीएल राशनकार्ड (3)	एपीएल राशनकार्ड (4)
1.	दुर्ग	128440	97851
2.	धमधा	33660	21895
3.	गुण्डरदेही	24523	16028
4.	पाटन	34222	27799
5.	बालोद	15410	10453
6.	गुरुर	15987	12011
7.	डौण्डी	20235	11890
8.	डौण्डी लोहारा	21798	16452
9.	बेमेतरा	26759	14887
10.	साजा	23973	12585
11.	बेरला	24654	12160
12.	नवागढ़	30077	11806

परिशिष्ट “तीन”

[तारांकित प्रश्न संख्या 06 (क्र. 1603) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

(क) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के रायपुर नगर निगम के भीतर 07 गैस एजेंसियां हैं.

क्र. (1)	नाम एवं गोदाम का पता (2)	सप्लाई किया जाने वाला क्षेत्र (3)	उपभोक्ता संख्या (4)
1.	मेसर्स गैस हाउस, फायर बिग्रेड चौक, छोटापारा, रायपुर.	अस्पताल वार्ड, बैजनाथपारा, छोटापारा, बैरनबाजार, अरविन्द नगर, सिविल लाईन, श्याम नगर, रविग्राम, विशाल नगर, काशीराम नगर, राजेन्द्र नगर, न्यू राजेन्द्र नगर, महावीर नगर, टिकरापारा, नेहरू नगर, वीरभद्र कालोनी, अमीनपारा, आदर्श नगर, संजय नगर, छत्तीसगढ़ नगर, लक्ष्मी नगर, संतोषी नगर, लालपुर, मठपुरैना, भाटागांव, अमलीडीह, फुण्डहर आदि.	18513
2.	मेसर्स कल्याण गैस एजेंसी, बस स्टैण्ड के सामने पंडरी रायपुर.	शंकर नगर, खम्हारडीह, कंचना, अवंती विहार, गीतांजली नगर, आनंद नगर, विशाल नगर, न्यू शांती नगर, राजातालाब, पंडरी, शांति नगर, ई ए सी कालोनी, देवेन्द्र नगर, कांपा बस्ती, मोवा, दलदल सिवनी, सडडू, विधान नगर, आदि.	19266
3.	मेसर्स रायपुर गैस कंपनी, शिवम बिल्डिंग रेल्वे क्रॉसिंग के पास, फाफाडीह रायपुर.	फाफाडीह, चूनाभट्टी, देवेन्द्र नगर, नहरपारा, स्टेशन रोड, मोदहापारा, एम. जी. रोड, रामसागर पारा, जवाहर नगर, बढईपारा, आमापारा, समता कालोनी, चौबे कालोनी, रामनगर, रेल्वे लोको कालोनी, गुढियारी, जनता कॉलोनी, अशोक नगर, शिवानंद नगर, श्रीनगर, खमतराई, सन्यासीपारा, डब्ल्यू आर एस कालोनी, आर वी एच कालोनी आदि.	20900
4.	मेसर्स परवेश एच पी गैस एजेंसी (तदर्थ), पुलिस लाईन टिकरापारा रायपुर.	पुरानी बस्ती, टिकरापारा, संतोषी नगर, संजय नगर, छत्तीसगढ़ नगर, बोरिया रोड, पचपेडी नाका, राधास्वामी नगर, राजेन्द्र नगर, प्रियदर्शनी नगर, टैगोर नगर, शैलेन्द्र नगर, पुलिस लाईन, महावीर नगर, देवपुरी, प्रोफेसर कालोनी, लालपुर, माना केम्प, अमलीडीह, पेंशन बाडा, लक्ष्मी नगर, भाटागांव, मठपुरैना, हनुमान नगर आदि.	15070
5.	मेसर्स परवेश एच पी गैस एजेंसी मेन रोड टाटीबंध रायपुर.	टाटीबंध, मोहबा बाजार, कोटा, हीरापुर, कबीर नगर, वीरसावरकर नगर, युनिवर्सिटी एरिया, कॉलेज वार्ड, डंगनिया, रोहिणीपुरम, दीनदयालउपाध्याय नगर, सुन्दर नगर, अश्वनी नगर, चंगोराभाठा, कुशालपुर, लाखेनगर, महादेवघाट, रायपुरा, आर के सी केम्पस, आमामाका, कुकुरबेडा आदि.	10559
6.	मेसर्स साई चंद्रा एच पी गैस एजेंसी सी ए सी बी चौक, बुढापारा, रायपुर	बुढापारा, मालवीय रोड, नयापारा, लाखे नगर, गोलबाजार, ब्राहमण पारा पुरानी बस्ती आदि.	1144
7.	मेसर्स श्री एच पी गैस एजेंसी ओवरब्रीज के पास खमतराई रायपुर	उरला, बिरगांव, रावाभाटा, उरकुरा आदि.	2890

(ख) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के रायपुर नगर निगम के भीतर 02 गैस एजेंसियां हैं।

क्र.	नाम एवं गोदाम का पता	सप्लाई किया जाने वाला क्षेत्र	उपभोक्ता संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मेसर्स जय मुरारी गैस सर्विस, जी के कान्वेन्ट के पास गुडियारी रायपुर.	हांडीपारा, देवेन्द्र नगर, समता कालोनी, फाफाडीह, खमतराई, शंकर नगर, गुडियारी, ब्रम्हपुरी, कालीबाडी, टिकरापारा, सारागांव, स्टेशन रोड, मोदहापारा, शारदाचौक, ब्राम्हणपारा, इदगाह भाटा, पुरानी बस्ती, कुशालपुर, सुन्दर नगर क्षेत्र, लाखे नगर आदि.	19793
2.	मेसर्स लक्ष्मी गैस एजेंसी, बैरन बाजार गावलीपारा रोड होलीक्रास स्कूल के के पास रायपुर.	कटोरा तालाब, टैगोर नगर, बैरन बाजार, लाखे नगर, कुशालपुर, नयापारा, टिकरापारा, चंगोराभाटा, अवंतीविहार, पुरानी बस्ती, महावीर नगर, पेंशन बाडा, सिविल लाईन, रायपुरा, संजय नगर, संतोषी नगर, महावीर नगर, अमलीडीह, न्यू राजेन्द्र नगर, तेलीबांधा, पंचशील नगर, बैरन बाजार, नेहरू नगर, छोटापारा, बैजनाथपारा, बासटाल, बुढापारा, आमापारा, ब्राम्हणपारा, प्रोफेसर कालोनी, अश्वनी नगर, अमीनपारा, गोपीयापारा, अवाधियापारा, शैलेन्द्र नगर, प्रदशानी नगर, अवंति विहार, विशाल नगर, जीवन विहार, श्याम नगर, बोरिया, माना, लालपुर, चौरासिया कालोनी, मठपारा, पेंशन बाडा, सिविल लाईन आदि.	16931

(ग) इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड के रायपुर नगर निगम के भीतर 10 गैस एजेंसियां हैं।

क्र.	नाम एवं गोदाम का पता	स्थान	उपभोक्ता संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मेसर्स प्रकाश गैस सर्विस, शॉप नं. 1 हाईवे - 5 भिलाई रोड, टाटीबंध रायपुर.	अवंति विहार, गायत्री नगर, कविता नगर, गीतांजली नगर, कटोरातालाब, राजेन्द्र नगर, बजाज नगर, प्रियदर्शनी नगर, पुरैना, अमलीडीह, महावीर नगर, पवन विहार, कृषक नगर, साईं नगर, फुण्डहर, धरमपुरा, श्याम नगर, तेलीबांधा, आनंद नगर, पंचशील नगर, मौलीनगर, सतनामी पारा आदि.	20729
2.	नीकृता इण्डेन, जैन काम्प्लेक्स, नई टंकी के सामने पोस्ट आफिस के पास, सेक्टर 1 शंकर नगर रायपुर.	शंकर नगर, राजीव नगर, दुबे कालोनी, एल आई सी कालोनी शान्ती नगर, न्यू शान्ती नगर, अनुपम नगर, विधान सभा मार्ग, खम्हारडीह, कचंना, मांढर, श्रीराम नगर आदि.	12218
3.	लालमणी इण्डेन, गांधी नगर पंडरी मंदिर गेट के पास रायपुर.	राजा तालाब, पंडरी, गीतांजली नगर, गायत्री नगर, सेल टेक्स कालोनी, अवंती विहार, लोधीपारा, राजधानी विहार (सडडू) आदि.	7896
4.	रूक्मिणी गैस एजेंसी, 2 आर्शीवाद भवन बैरन बाजार रायपुर.	शैलेन्द्र नगर, भाटागांव, टैगोर नगर, लालपुर, मठपुरैना, मठपारा, टिकरापारा, बैरन बाजार, कालीबाडी, नेहरूनगर, लक्ष्मी नगर, प्रियदर्शनी नगर, संजय नगर, हनुमान नगर, टिकरापारा, भौरोनगर, डबरा कालोनी, डॉ. राजेन्द्र नगर, प्रियदर्शनी नगर, कालीबाडी, नेहरू नगर, प्रोफेसर नगर, वीरभद्र नगर आदि.	13332

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	फलेम एंड फलेम, 20, सुभाष स्टेडियम, रायपुर.	पुरानी बस्ती, सुभाष स्टेडिम, पुलिस लाईन, सिविल लाईन, सदर बाजार, मालवीय रोड, बैजनाथपारा, छोटापारा, बुढापारा, नयापारा आदि.	15152
6.	गोडवाना इण्डेन, महादेव घाट, लाखे नगर चौक, गौतम नगर, रायपुर.	लाखे नगर, ईदगाहभाटा, गौतम नगर, आमापारा, रामकुण्ड, अश्वनी नगर, हनुमान नगर, बंधवापारा, सुन्दर नगर, चंगोरा भाटा, रायपुरा कुशालपुर, चंगोरा भाटा, बंधवापारा, रामकुंड, बढईपारा आदि.	8490
7.	किचन क्वीन, राजकुमार कालेज के सामने करबला पारा जी ई रोड रायपुर.	समता कालोनी चौबे कालोनी, राजकुमार कॉलेज, कोटा, कबीर नगर, हीरापुर, हरबंश नगर, मोहबा बाजार, तेलीबांधा, उपाध्यायनगर, सुन्दर नगर, उदयासोसायटी, चंगोराभाटा, डंगनिया, सरोना, अमानाका आदि.	20601
8.	मारूति गैस एजेंसी, बढई पारा रायपुर.	तात्यापारा, नगर निगम कालोनी, बढईपारा, रामसागर पारा, गुढियारी, बीरगांव, रामकुंड आदि.	19330
9.	आकाश गैस सर्विस, सी-51 सेक्टर-3 देवेन्द्र नगर, रायपुर.	फाफाडीह, देवेन्द्र नगर, गुढियारी, श्रीनगर, शिवनंद नगर, खमतराई, आर व्ही एच कालोनी, डब्ल्यू आर एस कालोनी, नहरपारा, बीरगांव, सिलतरा, धरसीवा, गोगांव, भनपुरी आदि.	19149
10.	अमर इण्डेन	बीरगांव, उरला, कबीर नगर, आदि.	न्यू

प्रपत्र "ब"

(क) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर निरीक्षण की जानकारी

क्र. (1)	नाम एवं गोदाम का पता (2)	निरीक्षण दिनांक (3)	निरीक्षणकर्ता अधिकारी (4)
1.	मेसर्स गैस हाउस, फायर बिग्रेड चौक, छोटापारा, रायपुर.	30-08-10/11-01-10/20-01-11 14-01-10/27-02-10/12-04-10/ 29-05-10/06-07-10/28-08-10/ 28-10-11/20-11-10/07-01-11.	क्षेत्रीय प्रबंधक/विक्रय अधिकारी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो. लिमि. श्री विनोद सिंह परिहार, खाद्य निरीक्षक, रायपुर शहर.
2.	मेसर्स कल्याण गैस एजेंसी, न्यू बस स्टैण्ड के पास पंडरी रायपुर.	04-01-10/07-04-10/09-07-10/ 30-09-10/24-12-10. 15-01-10/09-03-10/07-05-10/ 09-06-10/29-07-10/08-09-10/ 20-10-10/25-11-10/14-12-10/ 12-01-11.	श्री शरद कुमार गढ़वाल, कार्यकारी ग्राहक सेवा कक्ष अधिकारी, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो. लिमि. श्री विनोद सिंह परिहार, खाद्य निरीक्षक.
3.	मेसर्स रायपुर गैस कंपनी, शिवम बिल्डिंग, रेल्वे क्रासिंग के पास, फाफाडीह रायपुर.	06-04-10/13-07-10/15-10-10/ 26-01-11.	क्षेत्रीय प्रबंधक/विक्रय अधिकारी, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो. लिमि.
4.	मेसर्स परवेश एच पी गैस एजेंसी पुलिस लाईन टिकरापारा रायपुर.	16-04-10/20-07-10/12-10-10/ 24-01-11. 08-04-10/19-05-10/23-06-10/ 04-07-10/12-08-10/05-09-10/ 28-10-10/18-11-10/02-12-10/ 09-01-11.	क्षेत्रीय प्रबंधक/विक्रय अधिकारी, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो. लिमि. श्री आर सी गुलाटी, सहायक खाद्य अधिकारी.
5.	मेसर्स परवेश एच पी गैस एजेंसी, मेन रोड, टाटीबंध रायपुर.	22-04-10/09-07-10/03-11-10/ 22-01-10/17-02-10/18-03-10/ 20-04-10/18-05-10/17-06-10/ 29-07-10/28-08-10/29-09-10/ 27-10-10/17-11-10/22-12-10/ 24-01-11.	क्षेत्रीय प्रबंधक/विक्रय अधिकारी, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो. लिमि. श्री के एस राठौड़, खाद्य निरीक्षक, रायपुर (शहर).
6.	मेसर्स साई चंद्रा एच पी गैस एजेंसी, सी ए सी बी चौक, बुढ़ापारा, रायपुर.	29-07-10/07-10-10.	श्री शरद ग्रेवाल एवं श्री एन एल जैन वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो. लिमि. द्वारा दो बार जांच की गई.
7.	मेसर्स श्री एच पी गैस एजेंसी, ओवरब्रीज के पास खमतराई, रायपुर.	16-07-10/10-11-10.	क्षेत्रीय प्रबंधक/विक्रय अधिकारी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो. लिमि.

कंपनी के अधिकारियों एवं खाद्य निरीक्षकों द्वारा समय-समय पर गैस एजेंसियों की जांच/निरीक्षण की जाती है.

(ख) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड निरीक्षण की जानकारी

क्र. (1)	नाम एवं गोदाम का पता (2)	निरीक्षण दिनांक (3)	निरीक्षणकर्ता अधिकारी (4)
1.	मेसर्स जय मुरारी गैस सर्विस, जी के कान्वेन्ट के पास गुडियारी रायपुर.	13-11-10 05-01-10/17-02-10/08-03-10/ 06-04-10/26-05-10/03-06-10/ 24-07-10/02-08-10/02-09-10/ 13-10-10/22-11-10/06-12-10/ 05-01-11.	गौरव मदान अस्सिस्टेन्ट मैनेजर सेल्स, भारत पेट्रोलियम कार्पो. लिमि. श्री विनोद सिंह परिहार, खाद्य निरीक्षक.
2.	मेसर्स लक्ष्मी गैस एजेंसी, बैरन बाजार गावलीपारा रोड होलीक्रास स्कूल के के पास रायपुर.	17-11-10	गौरव मदान अस्सिस्टेन्ट मैनेजर सेल्स, भारत पेट्रोलियम कार्पो. लिमि.

(ग) इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड निरीक्षण की जानकारी

क्र. (1)	नाम एवं गोदाम का पता (2)	निरीक्षण दिनांक (3)	निरीक्षणकर्ता अधिकारी (4)
1.	मेसर्स प्रकाश गैस सर्विस, शॉप नं. 1 हाईवे - 5 भिलाई रोड, टाटीबन्ध रायपुर.	08-03-10, 29-09-10 और 06-12-10	श्री आर बी करजगार, क्षेत्रीय अधिकारी श्री रमेश कुमार क्षेत्रीय अधिकारी इण्डियन पेट्रोलियम कार्पो. लिमि.
2.	नीकिता इण्डेन, जैन काम्प्लेक्स, नई टंकी के सामने पोस्ट आफिस के पास, सेक्टर 1 शंकर नगर रायपुर.	09-06-10/09-11-10	फिल्ड ऑफिसर इण्डियन पेट्रोलियम कार्पो. लिमि.
3.	लालमणी इण्डेन, गांधी नगर पंडरी मंदिर गेट के पास रायपुर.	29-01-10/22-06-10/ 29-10-10/30-11-10	फिल्ड ऑफिसर इण्डियन पेट्रोलियम कार्पो. लिमि.
4.	रूक्मिणी गैस एजेंसी, 2 आर्शावाद भवन बैरन बाजार रायपुर.	11-02-10/15-06-10/ 26-11-10	फिल्ड ऑफिसर इण्डियन पेट्रोलियम कार्पो. लिमि.
5.	फलेम एंड फलेम, 20, सुभाष स्टेडियम, रायपुर.	14-01-10/27-02-10/11-04-10/ 29-05-10/06-07-10/28-08-10/ 08-10-10/30-11-10/07-01-11. 09-03-10/15-05-10/11-11-10.	श्री विनोद सिंह परिहार, खाद्य निरीक्षक, रायपुर. फिल्ड ऑफिसर इण्डियन पेट्रोलियम कार्पो. लिमि.
6.	गोडवाना इण्डेन, महादेव घाट, लाखे नगर चौक, गौतम नगर, रायपुर.	09-01-10/13-05-10/10-11-10	इण्डेन विक्रय अधिकारी द्वारा गैस एजेंसी की जांच की गई.

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	क्विचन क्वीन, राजकुमार कालेज के सामने करबला पारा जी ई रोड रायपुर.	12-03-10/23-06-10/27-11-10	फिल्ड ऑफिसर इण्डियन पेट्रोलियम कार्पो. लिमि.
8.	मारूति गैस एजेन्सी, बढई पारा रायपुर.	20-03-10/27-10-10	फिल्ड ऑफिसर इण्डियन पेट्रोलियम कार्पो. लिमि.
9.	आकाश गैस सर्विस, सी-51 सेक्टर-3 देवेन्द्र नगर, रायपुर.	30-01-10/07-03-10/22-09-10/ 16-12-10.	फिल्ड ऑफिसर इण्डियन पेट्रोलियम कार्पो. लिमि.
10.	अमर इण्डेन	नवीन गैस एजेन्सी स्थापित	नयी गैस एजेन्सी के कारण जांच नहीं की गयी है.

परिशिष्ट “चार”

[तारांकित प्रश्न संख्या 09 (क्र. 294) की जानकारी]

महिला स्व-सहायता समूह को आवंटित उचित मूल्य दुकानों की जानकारी

क्र. (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	महिला स्व. सहायता समूह का नाम (3)
1.	पासीद	सुभद्र (ज्योति) महिला स्व सहायता समूह
2.	दहिदा	सिद्धी महिला स्व सहायता समूह
3.	जशपुर	जागृति महिला स्व सहायता समूह
4.	जसरा	सुलोचना महिला स्व सहायता समूह
5.	धौठला छोटे	समलाई महिला स्व सहायता समूह
6.	छर्वा	विमला महिला स्व सहायता समूह
7.	हिच्छा	महानदी महिला स्व सहायता समूह
8.	टिमरलगा	दिया महिला स्व सहायता समूह गुढ़ेली में संलग्न
9.	सिंघनपुर	सुलोचना महिला स्व सहायता समूह
10.	कोसीर	सरस महिला स्व सहायता समूह
11.	कुम्हारी	नावागौरी महिला स्व सहायता समूह
12.	कपिस्ता अ	दुर्गा महिला स्व सहायता समूह
13.	बरदुला	महिला अध्यक्ष महिला स्व सहायता समूह
14.	गन्तुली छोटे	लेल्हर महिला स्व सहायता समूह
15.	डड़ाईडीह	संतोषी महिला स्व सहायता समूह
16.	भोथली	जय महामाया महिला स्व सहायता समूह
17.	भीखमपुरा	राधा महिला स्व सहायता समूह
18.	जेवरा	संतोषी महिला स्व सहायता समूह
19.	गुड़ेली	दिया महिला स्व सहायता समूह
20.	बटाऊपाली अ	संजीवनी महिला स्व सहायता समूह
21.	उच्चभिट्टी	विकास महिला स्व सहायता समूह
22.	उलखर	कामगार महिला स्व सहायता समूह
23.	पिण्डरी बा. पा.	ललिता महिला स्व सहायता समूह
24.	गोड़म	ग्रामीण कला महिला स्व सहायता समूह
25.	धौराभांठा	माता रूकमणी महिला स्व सहायता समूह
26.	रीवापार	रागिनी महिला स्व सहायता समूह
27.	मुड़पार बड़े	पार्वती महिला स्व सहायता समूह
28.	छुहीपाली	जेवराबाई महिला स्व सहायता समूह
29.	हिरा	अम्बेडकर महिला स्व सहायता समूह
30.	अमलीडीपा	संतोषी महिला स्व सहायता समूह
31.	लेन्ध्रा	शारदा महिला स्व सहायता समूह
32.	गाताडीह	लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह

(1)	(2)	(3)
33.	रेड़ा	सुभद्रा महिला स्व सहायता समूह
34.	मुड़ियाडीह	मां भवानी महिला स्व सहायता समूह
35.	नौरंगपुर	मां भवानी महिला स्व सहायता समूह मुड़ियाडीह में संलग्न
36.	परसकोल	गंगा महिला स्व सहायता समूह
37.	कलमी	मां आदिशक्ति महिला स्व सहायता समूह
38.	साल्हे	मां दुर्गा महिला स्व सहायता समूह
39.	पचपेड़ी	बद्रिका महिला स्व सहायता समूह
40.	मुड़पार छोटे	जानकी महिला स्व सहायता समूह
41.	अमझर	महालक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह
42.	रापागुला	जय मां दुर्गा महिला स्व सहायता समूह
43.	छिन्द	मां गायत्री महिला स्व सहायता समूह
44.	गोड़िहारी	सदाबहार महिला स्व सहायता समूह
45.	बासीनबहरा	उर्मिला महिला स्व सहायता समूह
46.	खरवानी बड़े	पदमावती महिला स्व सहायता समूह
47.	घौठला बड़े	कलेश्वर महिला स्व सहायता समूह
48.	केड़ार	मां गायत्री महिला स्व सहायता समूह में संलग्न हैं.
49.	लीमगांव	मोहन महिला स्व सहायता समूह
50.	कटेली	मुनी महिला स्व सहायता समूह
51.	चंदाई	पिंगला महिला स्व सहायता समूह
52.	सहसपुर	पूजा महिला स्व सहायता समूह
53.	चंवरपुर	संयोग महिला स्व सहायता समूह
54.	माधोपाली	मां सहकाली महिला स्व सहायता समूह
55.	बुदेली	सहयोग भारती महिला स्व सहायता समूह
56.	अमलीपाली ब	हराबाई महिला स्व सहायता समूह
57.	भद्रा	अमृता महिला स्व सहायता समूह
58.	सारंगढ़ शहरी क्षेत्र	सारंग महिला स्व सहायता समूह
59.	सारंगढ़ शहरी क्षेत्र	भाग्य लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह
60.	सारंगढ़ शहरी क्षेत्र	शालू महिला स्व सहायता समूह
61.	मारोदरहा	शारदा महिला स्व सहायता समूह
62.	देवगांव	आरती महिला स्व सहायता समूह
63.	अमेरी	रामवती महिला स्व सहायता समूह
64.	कोतरा	महिला स्व सहायता समूह
65.	बोरे	हेमा महिला स्व सहायता समूह
66.	खोरीगांव	दुर्गा महिला स्व सहायता समूह
67.	हिर्री	दानलक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह
68.	तौंसीर	लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह
69.	बैगीनडीह	समलेश्वरी महिला स्व सहायता समूह

(1)	(2)	(3)
70.	हट्टापाली	मधु मुस्कान महिला स्व सहायता समूह
71.	जोगिनीपाली	बुढ़ीमाई महिला स्व सहायता समूह
72.	तरेकेला	भारती महिला स्व सहायता समूह
73.	बिर्नीपाली	पार्वती महिला स्व सहायता समूह

परिशिष्ट "पांच"

[तारंकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 1293) की जानकारी]

**जिला जांजगीर-चांपा एवं रायगढ़ में दिनांक 01-04-2010 से 15-02-2011 तक की अवधि में प्रस्तावित
ताप विद्युत संयंत्रों को जारी स्थापना सम्मति के संबंध में जानकारी**

क्र.	उद्योग का नाम	क्षमता	प्रस्तावित विनियोग (रुपये करोड़ में)	भूमि का प्रस्तावित क्षेत्रफल	स्थापना सम्मति जारी दिनांक	स्थापना सम्मति की प्रमुख शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	मेसर्स श्री श्याम वेयर हाउसिंग एण्ड पॉवर प्रा. लि. ग्राम-बनारी जिला-जांजगीर-चांपा.	10.0 मेगावाट	लगभग 50.61	लगभग 4.03 हेक्टेयर	06-05-2010	1. सक्षम एवं प्रभावी जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना. 2. जल एवं वायु प्रदूषण स्तर को निर्धारित मानकों के भीतर रखा जाना. 3. राखड़ का उचित प्रबंधन एवं अपवहन किया जाना. 4. जल का पुनर्चक्रण एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना. 5. सघन वृक्षारोपण किया जाना.
2.	मेसर्स डी. बी. पॉवर लिमिटेड, ग्राम-बड़ादरहा जिला-जांजगीर-चांपा.	1200.0 मेगावॉट	लगभग 6533.0	लगभग 629.38 एकड़	05-02-2011	1. सक्षम एवं प्रभावी जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना. 2. जल एवं वायु प्रदूषण स्तर को निर्धारित मानकों के भीतर रखा जाना. 3. राखड़ का उचित प्रबंधन एवं अपवहन किया जाना. 4. जल का पुनर्चक्रण एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना. 5. सघन वृक्षारोपण किया जाना.
3.	मे. अथेना छत्तीसगढ़ पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-सिंघीतराई, तहसील-डभरा जिला-जांजगीर-चांपा.	1200.0 मेगावॉट	लगभग 5700.0	930.0 एकड़	02-08-2010	1. सक्षम एवं प्रभावी जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना. 2. जल एवं वायु प्रदूषण स्तर को निर्धारित मानकों के भीतर रखा जाना. 3. राखड़ का उचित प्रबंधन एवं अपवहन किया जाना. 4. जल का पुनर्चक्रण एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना. 5. सघन वृक्षारोपण किया जाना.
4.	मेसर्स शान्ति जी. डी. इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-महुदा, जिला-जांजगीर-चांपा.	15 मेगावॉट	लगभग 69.0	लगभग 22.0 एकड़	29-10-2010	1. सक्षम एवं प्रभावी जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना. 2. जल एवं वायु प्रदूषण स्तर को निर्धारित मानकों के भीतर रखा जाना. 3. राखड़ का उचित प्रबंधन एवं अपवहन किया जाना.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						4. जल का पुनर्चक्रण एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना. 5. सघन वृक्षारोपण किया जाना.
5.	मेसर्स कोरवा वेस्ट पॉवर कंपनी लिमिटेड, ग्राम-बड़ेभंडार, छोटेभंडार, सरवानी एवं अमलीभोना तहसील-पुसौर जिला-रायगढ़.	600.0 मेगावॉट	लगभग 2795.60	लगभग 487.0 एकड़	25-08-2010	1. सक्षम एवं प्रभावी जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना. 2. जल एवं वायु प्रदूषण स्तर को निर्धारित मानकों के भीतर रखा जाना. 3. राखड़ का उचित प्रबंधन एवं अपवहन किया जाना. 4. जल का पुनर्चक्रण एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना. 5. सघन वृक्षारोपण किया जाना.
6.	मे. एस. के. एस. पॉवर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड, ग्राम-दर्गामुड़ा, बिंजकोट, तहसील-खरसिया जिला-रायगढ़.	1200.0 मेगावॉट	लगभग 5100.0	लगभग 874.0 एकड़	24-01-2011	1. सक्षम एवं प्रभावी जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना. 2. जल एवं वायु प्रदूषण स्तर को निर्धारित मानकों के भीतर रखा जाना. 3. राखड़ का उचित प्रबंधन एवं अपवहन किया जाना. 4. जल का पुनर्चक्रण एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना. 5. सघन वृक्षारोपण किया जाना.
7.	मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड (फेस-2) ग्राम-डोंगामौहा, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़.	300.0 मेगावॉट	लगभग 1250.00	लगभग 40.0 एकड़	22-01-2011	1. सक्षम एवं प्रभावी जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना. 2. जल एवं वायु प्रदूषण स्तर को निर्धारित मानकों के भीतर रखा जाना. 3. राखड़ का उचित प्रबंधन एवं अपवहन किया जाना. 4. जल का पुनर्चक्रण एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना. 5. सघन वृक्षारोपण किया जाना.
8.	मेसर्स के. एल. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-कुनकुनी, तह. -खरसिया, जिला-रायगढ़.	10.0 मेगावॉट	लगभग 48.79	लगभग 6.44 एकड़	22-05-2010	1. सक्षम एवं प्रभावी जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना. 2. जल एवं वायु प्रदूषण स्तर को निर्धारित मानकों के भीतर रखा जाना. 3. राखड़ का उचित प्रबंधन एवं अपवहन किया जाना. 4. जल का पुनर्चक्रण एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना. 5. सघन वृक्षारोपण किया जाना.

परिशिष्ट “छ:”
[तारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 170) की जानकारी]

वर्ष 2009-10

नगर पंचायत नई लेदरी

(राशि लाखों में)

क्र. (1)	मद (2)	कार्य (3)	प्रदत्त राशि (4)
1.	अधोसंरचना	कार्यालय भवन	20.00
2.	अधोसंरचना	मूलभूत विकास कार्य	25.00
3.	12वां वित्त आयोग	ठोस अपशिष्ट निवारण	10.00
4.	अधोसंरचना	झु. झों. में पेयजल व्यवस्था	5.00
5.	अधोसंरचना	झु. झों. में पेयजल व्यवस्था	1.67

वर्ष 2010-11 एवं 31 जनवरी तक

1.	अधोसंरचना	पार्षद निधी	7.50
2.	अधोसंरचना	पेयजल व्यवस्था	5.00
3.	अधोसंरचना	मूलभूत सुविधा	25.00
4.	अधोसंरचना	विकास कार्य	17.00
5.	अधोसंरचना	विकास कार्य	10.00
6.	अधोसंरचना	मरम्मत संधारण हेतु	1.87

वर्ष 2009-10

नगर पंचायत खोंगापानी

1.	अधोसंरचना	कार्यालय भवन	20.00
2.	अधोसंरचना	मूलभूत विकास कार्य	25.00
3.	12वां वित्त आयोग	ठोस अपशिष्ट निवारण	10.00
4.	अधोसंरचना	पेयजल व्यवस्था	5.00
5.	अधोसंरचना	मूलभूत विकास कार्य	2.50
6.	अधोसंरचना	विकास कार्य	22.50
7.	अधोसंरचना	झु. झों. में पेयजल व्यवस्था	1.67
8.	राज्य प्रवर्तित यो.	मुक्तिधाम निर्माण हेतु	4.00

वर्ष 2010-11 एवं 31 जनवरी तक

(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अधोसंरचना	पार्षद निधि	7.50
2.	अधोसंरचना	पेयजल व्यवस्था	5.00
3.	अधोसंरचना	विकास कार्य	12.50
4.	अधोसंरचना	मरम्मत संधारण हेतु	5.36
5.	राज्य प्रवर्तित यो.	सरोवर धरोहर	3.66
6.	राज्य प्रवर्तित यो.	मुक्तिधाम निर्माण हेतु	2.66
7.	राज्य प्रवर्तित यो.	हाट बाजार निर्माण	13.33
8.	राज्य प्रवर्तित यो.	सांस्कृतिक भवन निर्माण	8.33

परिशिष्ट “सात”

[तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 1465) के भाग (क) की जानकारी]

रायगढ़ एवं जशपुर जिले में संचालित गैस एजेंसी एवं उपभोक्ताओं की संख्या की जानकारी

क्र.	जिला का नाम	एजेंसी का नाम	कंपनी का नाम	उपभोक्ताओं की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	रायगढ़	रायगढ़ इंडेन गैस डीलर, रायगढ़	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन	16556
2.		प्रियदर्शनी एच. पी. सी. गैस, रायगढ़	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन	6488
3.		यशवंतराज सिंह एच. पी. सी. गैस, रायगढ़	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन	12810
4.		पुष्पक एच. पी. सी. गैस, धरमजयगढ़	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन	5378
5.		सत्यम इण्डेन गैस, तमनार	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन	4355
6.		गौटिया इण्डेन गैस, सारंगढ़	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन	7459
7.		विभूत इण्डेन गैस, खरसिया	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन	8112
8.		सूर्या गैस एजेंसी, उर्दना, रायगढ़	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन	1500
9.	जशपुर	काश इण्डेन, कासाबेल	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन	7567
10.		शरद इण्डेन, बगीचा	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन	3657
11.		विजया इण्डेन, पत्थलगांव	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन	5493
12.		जशपुर गैस एजेंसी, जशपुर	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन	17

परिशिष्ट "आठ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 607) के भाग (क) की जानकारी]

दुर्ग जिले में स्थापित क्रशर की सूची

क्र.	क्रशर इकाई/क्रशर संचालक का नाम	ग्राम	तहसील
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मेसर्स राजहरा मेकेनाइज्ड माइन्स, भिलाई इस्पात संयंत्र	दल्लीराजहरा	बालोद
2.	मेसर्स दल्ली मेकेनाइज्ड माइन्स, भिलाई इस्पात संयंत्र	दल्ली	बालोद
3.	मेसर्स नंदनी लाईम स्टोन माइन्स, भिलाई इस्पात संयंत्र	देउरझाल अहिवारा पिटोरा	धमधा
4.	मेसर्स ए. सी. सी. लिमिटेड, जामुल सीमेण्ट वर्क्स	जामुल	दुर्ग
5.	मेसर्स गोदावरी पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड	गिधाली	बालोद
6.	श्री संजय अग्रवाल (श्री दयाशंकर अग्रवाल) स्टोन क्रशर	नंदनी-सहगांव	धमधा
7.	श्री संजय अग्रवाल	नंदनी खुदनी	धमधा
8.	श्री ओम प्रकाश अग्रवाल	चुनकट्टा	पाटन
9.	श्री ओम प्रकाश अग्रवाल	मुढ़पार	पाटन
10.	श्री पृथ्वी ट्रांसमाइन्स प्राईवेट लिमिटेड (स्टोन क्रशर एवं माइनिंग)	मुढ़पार	पाटन
11.	श्री प्रभात शंकर अग्रवाल	पतोरा	पाटन
12.	श्री प्रभात शंकर अग्रवाल	चुनकट्टा	पाटन
13.	श्री प्रभात शंकर अग्रवाल	मोहभट्टा	बेरला
14.	श्रीमती मोहिनी देवी मिश्रा	नंदनी	धमधा
15.	श्रीमती मोहिनी देवी मिश्रा	नंदनी	धमधा
16.	मेसर्स विद्या माइनिंग कंपनी	गोंडपेण्डी	पाटन
17.	मेसर्स त्रिवेणी मिनरल्स	पतोरा	पाटन
18.	मेसर्स दिनेश स्टोन क्रशर	ढौर	पाटन
19.	मेसर्स दिनेश स्टोन क्रशर	ढौर	पाटन
20.	मेसर्स मिश्रा मिनरल्स	कोदवा	बेरला
21.	मेसर्स आर. ए. बी. ब्रदर्स	सेलूद	पाटन
22.	श्री ओम प्रकाश सिंघानिया	मेडेसरा	धमधा
23.	श्री ओम प्रकाश सिंघानिया	मेडेसरा	धमधा
24.	मेसर्स राधा एसोसिएट	मेडेसरा	धमधा
25.	मेसर्स मानस मिनरल्स एण्ड कंपनी स्टोन क्रशर	छांटा	पाटन
26.	मेसर्स शिवा मिनरल्स कार्पोरेशन	सहगांव	धमधा
27.	मेसर्स शर्मा मिनरल्स	अहेरी	धमधा
28.	मेसर्स संजय अग्रवाल	पतोरा	पाटन
29.	मेसर्स संजय अग्रवाल	मेडेसरा	धमधा
30.	मेसर्स गौरव क्रशर	पिनकापार	डौण्डीलोहारा
31.	मेसर्स बालाजी मिनरल्स	देउरझाल	धमधा
32.	मेसर्स तिरूपति मिनरल्स	देउरझाल	धमधा

(1)	(2)	(3)	(4)
33.	मेसर्स नंद स्टोन क्रशर	नंदनी-सहगांव	धमधा
34.	मेसर्स बाबा राम देव क्रशर	पिनकापार	डौण्डीलोहारा
35.	मेसर्स बजाज मिनरल्स	घुघसीडीह	दुर्ग
36.	मेसर्स अबी कंस्ट्रक्शन	देउरझाल	धमधा
37.	मेसर्स रत्ना पाण्डे	पथरिया	धमधा
38.	मेसर्स शोभा स्टोन क्रशर	पथरिया	धमधा
39.	मेसर्स करूणा शर्मा स्टोन क्रशर	पथरिया	धमधा
40.	मेसर्स बाफना मिनरल्स	मोहभट्टा	बेरला
41.	मेसर्स श्री रमाशंकर अग्रवाल	पथरिया	धमधा
42.	श्री हेमन्त साहू स्टोन क्रशर	नंदनीखुंदनी	धमधा
43.	श्री राणा प्रेम कुमार सिंह	पतोरा	पाटन
44.	मेसर्स राणा क्रशर प्लांट	पतोरा	पाटन
45.	श्री राणा स्टोन क्रशर	पथरिया	धमधा
46.	मेसर्स जयश्री चन्द्राकर	गोंडपेयड़ी	पाटन
47.	मेसर्स विंध्यवासनी मिनरल्स	चुनकट्टा	पाटन
48.	मेसर्स श्रीमती गरिमा नाहर	परसाही	पाटन
49.	श्री प्रकाश चंद साहू	सहगांव	धमधा
50.	मेसर्स शिवा मिनरल्स	सेलूद	पाटन
51.	श्री ए. के. वर्मा स्टोन क्रशर	पथरिया	धमधा
52.	श्री अजय सिंह	गुड़ियारी	पाटन
53.	मेसर्स सम्लेश्वरी मिनरल्स	पतोरा	पाटन
54.	मेसर्स पटेल स्टोन क्रशर	पथरिया	धमधा
55.	मो. जाकिर अहमद अली	पतोरा	पाटन
56.	श्री सुरेश सिंह मेहरा	पतोरा	पाटन
57.	मेसर्स सिंग स्टोन	ढौर	पाटन
58.	मेसर्स रूपरेला ब्रदर्स	पथरिया	धमधा
59.	मेसर्स लक्ष्मी स्टोन क्रशर	सेलूद	पाटन
60.	मेसर्स श्री चण्डी मिनरल्स	पेण्डीतराई	धमधा
61.	मेसर्स कुसुम मिनरल्स (बी. एम. मिनरल्स)	कोदवा	बेरला
62.	मेसर्स कुसुम मिनरल्स (वर्तमान में बन्द है)	कोदवा	बेरला
63.	श्री राजेन्द्र सिंह स्टोन क्रशर	सहगांव	धमधा
64.	श्री अजय चन्द्राकर	नंदनी खुंदनी	धमधा
65.	मेसर्स आनन्द इन्टरप्राइजेस	सहगांव, पथरिया	धमधा
66.	मेसर्स गणपति मिनरल्स	देउरझाल	धमधा
67.	श्री भगताराम साहू, स्टोन क्रशर	पथरिया, नंदनी	धमधा
68.	मेसर्स संतोष मिनरल्स	पथरिया, नंदनी	धमधा
69.	मेसर्स कृष्णा मिनरल्स	पतोरा	पाटन
70.	मेसर्स प्रकाश ट्रेडिंग कंपनी	सहगांव	धमधा

(1)	(2)	(3)	(4)
71.	मेसर्स डेविड मिनरल्स	गोंडपेण्डी	पाटन
72.	मेसर्स साई मिनरल्स	सेलूद	पाटन
73.	मेसर्स जय अम्बे मिनरल्स	चुनकट्टा	पाटन
74.	मेसर्स मित्तल सेल्स स्टोन क्रशर	पथरिया	धमधा
75.	मेसर्स बाबा स्टोन क्रशर	मुड़पार	पाटन
76.	मेसर्स नवीन स्टोन क्रशर	परसाही	पाटन
77.	मेसर्स मित्तल मिनरल्स	पतोरा	पाटन
78.	मेसर्स गौरव मिनरल्स (यूनिट-01)	नंदनीखुंदनी	धमधा
79.	मेसर्स कान्ता स्टोन इण्डस्ट्रीज	कुरदी	-
80.	मेसर्स सीमा मिनरल्स	चुनकट्टा	पाटन
81.	मेसर्स शिव मिनरल्स	देउरझाल	धमधा
82.	श्री विजय कुमार सोमानी	गोंडपेण्डी	पाटन
83.	श्री साईनाथ स्टोन क्रशर	गुढ़ियारी	पाटन
84.	मेसर्स महावीर क्रशर	पथरिया	धमधा
85.	मेसर्स आनन्द इन्टरप्राइजेस	मोहभट्टा	बेरला
86.	मेसर्स आनन्द इन्टरप्राइजेस	मोहभट्टा	बेरला
87.	मेसर्स आनन्द इन्टरप्राइजेस	नंदनीखुंदनी	धमधा
88.	मेसर्स एस. एस. इन्जीनियर्स	देउरझाल	धमधा
89.	मेसर्स सुरेन्द्र कुमार गुप्ता	सहगांव	धमधा
90.	श्री जितेन्द्र अग्रवाल	पथरिया	धमधा
91.	श्री जसप्रीत भाटिया	पथरिया	धमधा
92.	श्री नंदकुमार कुम्भकार	मेडेसरा	धमधा
93.	श्री गोपाल अग्रवाल (गोपाल ट्रेडर्स)	पथरिया	धमधा
94.	श्री सत्यनारायण अग्रवाल	पथरिया	धमधा
95.	मेसर्स गौरव मिनरल्स (यूनिट-02)	नंदनीखुंदनी	धमधा
96.	श्री बिरेन्द्र कुमार गुप्ता	देउरझाल	धमधा
97.	श्री सचिन प्रांजपे (जय माँ काली स्टोन क्रशर)	देउरझाल	धमधा
98.	श्री भक्तूलाल रामानी	नंदनीखुंदनी	धमधा
99.	श्री सुरेश कुमार मंत्री	सहगांव	धमधा
100.	श्री अनुप कुमार मार्टिन	बानबरद	धमधा
101.	श्री गोपाल गुप्ता	भण्डेरा	डौण्डीलोहारा
102.	श्री सुरेश बावरिया	भण्डेरा	डौण्डीलोहारा
103.	श्री बालचंद पारख	भण्डेरा	डौण्डीलोहारा
104.	मेसर्स एन. के. एस. इन्फ्रक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड	पतोरा	पाटन
105.	मेसर्स चन्द्रा माइनिंग	पतोरा	पाटन
106.	श्रीमती रंजीत कौर ओबेराय	पतोरा	पाटन
107.	श्रीमती नित्या देवांगन	पतोरा	पाटन

(1)	(2)	(3)	(4)
108.	मेसर्स सतीदादी स्टोन क्रशर	गोंडपेण्ट्री	पाटन
109.	मेसर्स बजरंग मेटालिक्स	गोंडपेण्ट्री	पाटन
110.	श्री आर. के. क्रशर	गोंडपेण्ट्री	पाटन
111.	मेसर्स वीनस स्टोन क्रशर	छांटा	पाटन
112.	मेसर्स सिंह माइनिंग एण्ड क्रशिंग वर्क्स	गोंडपेण्ट्री	पाटन
113.	मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल्स	छांटा	पाटन
114.	मेसर्स नक्षत्र मिनरल्स	अचानकपुर	पाटन
115.	श्री रोहित चौहान	सेलूद	पाटन
116.	मेसर्स सिंह स्टोन (श्लोक स्टोन क्रशर)	सेलूद	पाटन
117.	मेसर्स गगन स्टोन क्रशर	गुढ़ियारी	पाटन
118.	मेसर्स के. दास स्टोन क्रशर	गुढ़ियारी	पाटन
119.	मेसर्स चन्द्रिका मिनरल्स	गुढ़ियारी	पाटन
120.	श्री शिवकान्त गोस्वामी (मेसर्स महावीर इंटरप्राइजेस)	गुढ़ियारी	पाटन
121.	श्री दानेश्वर वर्मा (कृष्णा मिनरल्स)	गुढ़ियारी	पाटन
122.	श्री रामू दुबे पुजारी	चुनकट्टा	पाटन
123.	मेसर्स शदाणी मिनरल्स	मुड़पार	पाटन
124.	श्री राजेन्द्र सिंह स्टोन क्रशर	देउरझाल	धमधा
125.	श्री कुमार जसवानी (लैण्डमार्क इंटरप्राइजेस)	देउरझाल	धमधा
126.	श्री रमेश बारले (श्री साईनाथ स्टोन क्रशर)	देउरझाल	धमधा
127.	श्री राजेन्द्र शर्मा	जाटादाह	डौंडीलोहारा
128.	श्री भजन दास गोदवानी	बरबसपुर	डौंडीलोहारा
129.	श्री हरीश सोनकर	चाराभाठा	गुण्डरदेही
130.	मेसर्स छातागढ़ स्टोन प्रोसेस इण्ड.	सहगांव	धमधा
131.	मेसर्स महेन्द्र राठी (मेसर्स अमर बिल्डर्स हॉट मिक्स एण्ड स्टोन क्रशर)	कोदवा	बेरला
132.	श्री संजय अग्रवाल, मेसर्स संजय अग्रवाल स्टोन क्रशर, (वर्तमान में उद्योग बंद है)	कोदवा	बेरला
133.	मेसर्स अनुराग वैद्य स्टोन क्रशर	गुढ़ियारी	पाटन

परिशिष्ट "नौ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 1239) की जानकारी]

केन्द्रवार धान खरीदी एवं राशि की जानकारी

क्र.	उपार्जन केन्द्र का नाम	कुल धान खरीदी (क्विंटल में)	राशि लाख रु. में
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सरखों	40144.00	401.44
2.	महंत	35146.00	351.46
3.	मनुंद	24667.20	246.67
4.	सिवनी	38685.20	386.85
5.	धुरकोट	38168.00	381.68
6.	गौद	27106.80	271.07
7.	खोखरा	35820.80	358.21
8.	जांजगीर	65847.60	658.48
9.	पहरिया	34240.60	342.41
10.	बोडसरा	21333.20	213.33
11.	बनारी	17490.00	174.90
12.	कुटरा	60928.00	609.28
13.	अमोदा	44992.40	449.92
14.	भैंसदा	11504.00	115.04
15.	सलखन	36274.80	362.75
16.	तुलसी	30236.40	302.36
17.	किरित	21117.60	211.18
18.	सेमरा	49488.40	494.88
19.	सिउड़	32560.40	325.60
20.	धारासीव	5350.20	53.50
21.	नवागढ़	34309.60	343.10
22.	बरगांव	14511.60	145.12
23.	तनौद	51591.20	515.91
24.	केरा	43839.00	438.39
25.	मिसदा	35438.20	354.38
26.	लोहर्सी	66693.60	666.94
27.	शिवरीनारायण	78072.00	780.72
28.	गोधना	53157.30	531.57
29.	पकरिया	26568.80	265.69
30.	जेवरा	32144.40	321.44
31.	भिलौनी	52522.00	525.22
32.	मेउ	43556.00	435.56
33.	राहौद	32121.60	321.22
34.	मेहर्दी	39351.00	393.51
35.	कोसला	41443.20	414.43
36.	ससहा	29973.60	299.75

(1)	(2)	(3)	(4)
37.	कोसा	11359.60	113.60
38.	रसौटा	50801.60	508.02
39.	भैसो	29176.80	291.77
40.	लगरा	28162.00	281.62
41.	कोडाभाठ	31272.40	312.72
42.	मुलमुला	22126.00	221.26
43.	पामगढ़	37250.40	372.50
44.	कोटमी	26308.80	263.09
45.	सांकर	23920.40	239.20
46.	अकलतरी	33365.80	333.66
47.	करूमहू	29212.00	292.12
48.	किरारी	35197.20	351.97
49.	कोटगढ़	32218.40	322.18
50.	पोड़ी	32342.00	323.42
51.	तरौद	13355.20	133.55
52.	अमोरा	14554.40	145.54
53.	अकलतरा	28662.40	286.62
54.	नरियरा	22923.60	229.24
55.	कापन	22459.40	224.59
56.	बरगवां	16365.60	163.66
57.	तिलई	41076.40	410.76
58.	चोरभट्टी	41490.20	414.90
59.	खैजा	23370.00	233.70
60.	खिसोरा	15759.00	157.59
61.	बक्सरा	27428.00	274.28
62.	कोरबी	21913.20	219.13
63.	बलौदा	14998.20	149.98
64.	महुदा	18649.20	186.49
65.	जर्वे	14072.40	140.72
66.	जावलपुर	11446.80	114.47
67.	भैसतरा	33235.60	332.36
68.	पिसौद	36395.00	363.95
69.	सिवनी	21224.40	212.24
70.	सोठी	25033.20	250.33
71.	चोरिया	27302.40	273.02
72.	चाम्पा	24245.20	242.45
73.	कुम्हारीकला	6702.00	67.02
74.	अमरूवा	14274.40	142.74
75.	दारंग	13172.00	131.72
76.	सारागांव	24906.80	249.07
77.	कमरीद	18339.20	183.39
78.	कोसमंदा	30715.60	307.16

(1)	(2)	(3)	(4)
79.	मड़वा	15810.80	158.11
80.	करनौद	37977.20	379.77
81.	लखाली	20434.40	204.34
82.	पोड़ीशंकर	23744.80	237.45
83.	बम्हनीनडीह	15243.20	152.43
84.	अफरीद	17775.80	177.76
85.	झर्रा	18019.00	180.19
86.	सरहर	38978.20	389.79
87.	डुमरपारा	20010.00	200.10
88.	लवसरा	26543.20	265.43
89.	गिधौरी	19240.00	192.40
90.	बाराद्वार	47637.60	476.38
91.	कड़ारी	23079.60	230.92
92.	ठठारी	32649.20	326.49
93.	भोथिया	37472.80	374.73
94.	डोंगिया	32554.20	325.65
95.	दर्राभाठा	50014.40	500.14
96.	आमगांव	49758.40	497.58
97.	जैजैपुर	28951.60	289.52
98.	तालदेवरी	33245.40	332.45
99.	ओडेकेरा	23581.60	235.82
100.	तुषार	48910.80	489.11
101.	नंदेली	0.00	0.00
102.	देवरघटा	23198.20	231.98
103.	घिवरा	17817.20	178.17
104.	किकिरदा	12120.80	121.21
105.	मुक्ता	29258.20	292.58
106.	सेंदरी	15400.00	154.00
107.	बिर्रा	49179.60	491.80
108.	हसौद	47037.60	470.38
109.	खजुरानी	26092.80	260.93
110.	भोथीडीह	24206.80	242.07
111.	कैथा	27611.40	276.11
112.	कचंदा	34072.00	340.72
113.	पिहरीद	52854.40	528.54
114.	पोता	63331.60	633.32
115.	सुलौनी	21339.60	213.40
116.	चरौदा	62728.40	627.28
117.	सिंघरा	46589.20	465.89
118.	नरियरा	59250.00	592.50
119.	मालखरौदा	47440.40	474.40
120.	छपोरा	43711.60	437.12

(1)	(2)	(3)	(4)
121.	आमनदुला	27786.60	277.87
122.	भठोरा	22822.80	228.23
123.	घोघरी	28258.40	282.58
124.	बड़ेसीपत	34709.20	347.09
125.	पिरदा	10961.20	109.61
126.	सकरेली	32009.60	320.10
127.	डोडकी	31825.20	318.25
128.	सोठी	42450.80	424.51
129.	किरारी	39489.60	394.90
130.	पोरथा	19158.60	191.59
131.	असौदा	24967.20	249.67
132.	झालरौदा	40693.80	406.94
133.	रायपुरा	31688.40	316.88
134.	अड़भार	67811.20	678.30
135.	बरपाली	16966.40	169.66
136.	नगरदा	22066.40	220.66
137.	पतेरापाली	62378.00	623.78
138.	रंगजा	51459.20	514.59
139.	जर्वे	29426.00	294.47
140.	सकरा	48942.40	489.42
141.	मोहं दीकला	30602.00	306.02
142.	सक्ती	18603.00	186.03
143.	सिरियागढ़	35321.60	353.22
144.	देवरघटा	39526.00	395.26
145.	फरसवानी	42167.60	421.68
146.	बघौद	47773.20	477.73
147.	सपोस	72513.20	725.13
148.	अमलडीहा	41266.00	412.66
149.	चन्द्रपुर	32314.00	323.14
150.	डभरा	47352.00	473.52
151.	धुरकोट	42193.30	421.93
152.	किरारी	51651.60	516.52
153.	कोटमी	40107.60	401.08
154.	बड़ेकटेकोनी	47692.00	476.92
155.	पुटीडीह	45659.00	456.59
156.	फगुरम	48692.00	486.92

परिशिष्ट "दस"

[तारकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 1141) के भाग (क) की जानकारी]

दिसंबर, 2008 से दिसंबर, 2009 तक निरस्त किए गए राशनकार्डों की संख्या

क्र.	जिला	दिसंबर, 2008 ग्रामीण शहरी (3) (4)	जनवरी, 2009 ग्रामीण शहरी (5) (6)	फरवरी, 2009 ग्रामीण शहरी (7) (8)	मार्च, 2009 ग्रामीण शहरी (9) (10)	अप्रैल, 2009 ग्रामीण शहरी (11) (12)	मई, 2009 ग्रामीण शहरी (13) (14)	जून, 2009 ग्रामीण शहरी (15) (16)	जुलाई, 2009 ग्रामीण शहरी (17) (18)	अगस्त, 2009 ग्रामीण शहरी (19) (20)	सितम्बर, 2009 ग्रामीण शहरी (21) (22)	अक्टूबर, 2009 ग्रामीण शहरी (23) (24)	नवम्बर, 2009 ग्रामीण शहरी (25) (26)	दिसंबर, 2009 ग्रामीण शहरी (27) (28)												
1.	कवर्धा	11	1350	19	29	25	21	31	7	9	1	0	0	0	42	5	285	153	855	17	199	24	359	27	57	1
2.	कोकर	6	52	116	0	482	0	443	226	110	173	0	0	0	653	179	1413	879	747	2	742	2	59	89	310	84
3.	कोरबा	27	1512	2560	100	604	88	336	4061	51	40	0	0	0	350	677	385	20	1832	716	208	111	327	188	76	11
4.	कोरिया	169	0	8	4	18	14	6	5	4	3	0	0	0	16	0	296	454	1137	383	297	493	185	144	233	14
5.	जशपुर	36	0	640	36	301	9	269	145	396	112	0	0	0	10	1008	34	66	1	54	0	29	31	522	0	
6.	जांजीर	706	86	133	0	358	566	386	0	376	94	0	0	0	696	865	1875	1284	823	507	318	8	136	45	318	252
7.	दन्तेवाड़ा	3	0	0	199	0	340	0	1	18	0	0	0	0	509	197	825	368	430	1020	0	95	0	28	119	1
8.	दुर्ग	596	712	335	2588	382	2317	1216	3067	1378	2948	0	0	0	222	184	2345	7683	3233	4087	2291	2513	2382	2057	1549	1094
9.	धमतरी	87	857	3	207	118	811	64	24	15	0	0	0	0	127	252	616	85	329	1	507	14	299	75	19	10
10.	नारायणपुर	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	0	38	0	0	0	0	0
11.	बस्तर	0	3	117	497	278	623	177	7	273	24	0	0	0	947	18	1347	8	1181	494	3685	334	1474	7	374	94
12.	बिलासपुर	499	127	142	526	298	359	218	707	147	26	0	0	0	216	56	2732	2694	4120	1673	504	431	526	44	202	2
13.	बीजापुर	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	174	0	655	0	106	0	144	0	1177	0
14.	महासमुंद	402	100	487	81	308	330	473	194	364	82	0	0	0	59	243	1051	638	542	265	232	74	89	118	130	56
15.	राजनंदगांव	21	0	510	168	69	181	156	332	55	0	0	0	0	46	2	514	258	665	394	227	878	153	8	63	57
16.	रायगढ़	582.5	395	2444	19	711	6	334	1	156	0	0	0	0	412	3481	756	403	448	881	1495	85	530	41	1856	724
17.	रायपुर	218	4574	2609	3931	1821	3141	1726	1163	205	388	0	0	0	555	279	2422	2436	5558	1650	573	237	1637	344	108	111
18.	सरगुजा	3401	303	184	247	761	263	1835	798	232	326	0	0	0	230	83	3834	375	3790	558	4013	187	5599	154	710	23

जनवरी, 2010 से जनवरी, 2011 तक निरस्त किए गए राशनकार्डों की संख्या

क्र.	जिला	जनवरी, 2010 ग्रामीण शहरी	फरवरी, 2010 ग्रामीण शहरी	मार्च, 2010 ग्रामीण शहरी	अप्रैल, 2010 ग्रामीण शहरी	मई, 2010 ग्रामीण शहरी	जून, 2010 ग्रामीण शहरी	जुलाई, 2010 ग्रामीण शहरी	अगस्त, 2010 ग्रामीण शहरी	सितम्बर, 2010 ग्रामीण शहरी	अक्टूबर, 2010 ग्रामीण शहरी	नवम्बर, 2010 ग्रामीण शहरी	दिसम्बर, 2010 ग्रामीण शहरी	जनवरी, 2011 ग्रामीण शहरी													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
1.	कवर्धा	0	0	48	288	173	113	181	3	109	2	136	0	94	2	25	0	113	72	36	46	2	18	4	10	15	7
2.	कोकर	194	357	196	0	387	2	170	2	36	162	37	34	128	176	44	22	112	1	130	67	1149	0	1631	4	195	23
3.	कोरबा	1156	150	272	43	162	37	0	2	0	19	6	0	23	2	63	22	1	0	302	3	324	29	608	20	349	48
4.	कोरिया	39	0	76	206	74	6	128	1	67	4	78	4	28	4	70	2	41	2	8	1	14	47	0	3	3	32
5.	जशपुर	0	59	52	0	72	0	25	0	3	0	0	0	89	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	जांजीर	57	2	29	0	88	119	71	394	501	1	61	3	140	15	254	215	62	4947	257	32	2	1	0	1	0	2
7.	दस्तेवाड़ा	470	488	95	173	0	0	0	1	0	0	0	0	8	1	0	0	0	0	2	14	62	0	0	0	1	1
8.	डुर्ग	220	1816	133	735	922	1511	1309	325	497	431	405	327	489	30	458	151	177	258	816	404	326	283	675	306	370	156
9.	धमतरी	4	27	45	29	97	30	34	7	46	8	59	29	48	31	8	8	5	0	9	0	7	0	7	0	33	8
10.	नारायणपुर	5	0	0	468	0	0	1	0	8	1	4	41	7	5	4	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	बस्तर	8	3	217	3	224	0	85	1	4	2	260	125	12	512	11	145	197	24	87	12	601	5	2696	2	3222	4
12.	बिलासपुर	487	278	723	312	353	489	489	81	166	13	70	27	45	307	221	137	219	4	109	16	9	4	0	9	221	3
13.	बीजापुर	1021	0	40	0	20	0	167	0	3	0	2	0	5	0	197	0	186	0	176	0	34	0	150	0	457	0
14.	महासमुंद्र	13	167	59	41	142	13	100	53	37	36	158	12	26	69	60	40	149	0	345	6	251	7	1031	32	362	10
15.	राजनांदगांव	139	191	86	144	71	310	5	7	155	361	33	0	67	0	38	3	5	0	1	0	3	4	0	7	1	12
16.	रामगढ़	274	820	60	0	119	29	190	0	180	3	982	3	254	1178	233	3345	287	852	166	1324	0	26	1	209	0	219
17.	रामपुर	39	120	22	2146	412	897	339	445	83	109	92	53	169	89	2	2	34	0	65	5	70	29	6	17	1	407
18.	सरगुजा	334	332	342	0	369	0	1563	0	673	76	1456	27	620	39	557	238	335	40	265	10	4	22	110	2	27	13

परिशिष्ट "ग्यारह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 260) के भाग (क) की जानकारी]

जिलेवार दिनांक 20 जनवरी, 2011 तक धान खरीदी का विवरण

क्र.	जिले का नाम	खरीदी गई धान की मात्रा (टन में)
(1)	(2)	(3)
1.	कवर्धा	74651
2.	कांकेर	101496
3.	कोरबा	43650
4.	कोरिया	12176
5.	जशपुर	17059
6.	जांजगीर-चांपा	418464
7.	दंतेवाड़ा	6346
8.	बीजापुर	3746
9.	दुर्ग	622356
10.	धमतरी	337430
11.	बस्तर	64232
12.	नारायणपुर	1973
13.	बिलासपुर	252849
14.	महासमुंद	443367
15.	राजनांदगांव	251126
16.	रायगढ़	285605
17.	रायपुर	857165
18.	सरगुजा	71060

परिशिष्ट “बारह”
[तारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 875) की जानकारी]

वर्ष 2009-10

नगर निगम अम्बिकापुर

क्र. (1)	कार्य (2)	आवंटित राशि (3)
1.	फुन्दुरडिहारी में मार्ग डामरीकरण	76.80
योग		76.80

वर्ष 2010-11

1.	फुन्दुरडिहारी मार्ग के डामरीकरण	51.20
2.	सड़क डामरीकरण	30.00
3.	सी.सी. रोड पेविंग कार्य	35.00
4.	डब्लू.बी.एम. सड़क निर्माण	25.00
5.	जोड़ा पीपल, सक्ती पारा, महामाया मार्ग विकास कार्य	300.00
योग		441.20

नियम 46 (2) के अन्तर्गत परिवर्तित अतारंकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट “तेरह”

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 05 (क्र. 1059) के भाग (क) की जानकारी]

रायगढ़ जिले में संचालित गैस एजेंसियों का विवरण

क्र. (1)	आयल कंपनी का नाम (2)	संचालक का नाम (3)
1.	इंडियन आयल कार्पो.	श्रीकांत सोमावार, रायगढ़
2.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पो.	श्री यश किण्डो, रायगढ़
3.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पो.	श्री यशवंत राजसिंह, रायगढ़
4.	इंडियन आयल कार्पो.	श्रीमती चन्द्रप्रभा वारे तमनार
5.	इंडियन आयल कार्पो.	श्री विनोद कुमार वारे, खरसिया
6.	इंडियन आयल कार्पो.	श्रीमती सविता हरिप्रिया, सारंगढ़
7.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पो.	श्री शक्ति कुमार उराव, धरमजयगढ़
8.	भारत पेट्रोलियम कार्पो.	रायगढ़ पुलिस विभाग, उर्दना

परिशिष्ट “चौदह”

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 09 (क्र. 1466) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

वर्ष 2008-09 में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना एवं अन्त्योदय अन्न योजना के प्रचलित राशन कार्डों की
विकासखण्डवार जानकारी

क्रमांक (1)	विकासखंड का नाम (2)	प्रचलित राशन कार्ड (3)
1.	रायगढ़	27597
2.	पुसौर	17194
3.	सारंगढ़	35714
4.	बरमकेला	17512
5.	खरसिया	21272
6.	घरघोड़ा	10327
7.	तमनार	10957
8.	लैलुंगा	16234
9.	धरमजयगढ़	26221

प्रपत्र "ब"

वर्ष 2009-10 में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना एवं अन्त्योदय अन्न योजना के प्रचलित राशन कार्डों की
विकासखण्डवार जानकारी

क्रमांक (1)	विकासखंड का नाम (2)	प्रचलित राशन कार्ड (3)
1.	रायगढ़	24437
2.	पुसौर	17088
3.	सारंगढ़	34249
4.	बरमकेला	17212
5.	खरसिया	19805
6.	घरघोड़ा	9593
7.	तमनार	9723
8.	लैलुंगा	15304
9.	धरमजयगढ़	25650

प्रपत्र "स"

10 हजार से कम आबादी वाले नगरीय निकायों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के राशन कार्ड सत्यापन में अपात्र पाये गये कार्डों की संख्या

क्रमांक (1)	विकासखंड का नाम (2)	अपात्र पाये गये राशन कार्डों की संख्या (3)
1.	खरसिया	2504
2.	घरघोड़ा	472
3.	तमनार	548
4.	धरमजयगढ़	1323
5.	पुसौर	816
6.	बरमकेला	1080
7.	रायगढ़	1417
8.	लैलुंगा	1110
9.	सारंगढ़	1928
योग		11198

प्रपत्र "द"

ग्रामीण क्षेत्रों तथा 10,000 से कम आबादी वाले नगरीय क्षेत्रों के मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के राशनकार्डों के नवीनीकरण हेतु मानदण्ड

- (1) शासकीय सेवा से संबंधित परिवारों के लिए रुपये 4212/- प्रतिमाह को मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के राशन कार्ड हेतु गरीब परिवार की आय का कट ऑफ आधार माना जावे. यह आधार शासन द्वारा कुशल श्रमिक के लिए निर्धारित मानदेय के आधार पर रखा गया है. इससे अधिक मानदेय/वेतन प्राप्त करने वाले अस्थायी शासकीय कर्मचारियों को बी.पी.एल. राशनकार्ड के लिए अपात्र घोषित किया जावे. यह मानदंड उन सभी राशनकार्डधारी जो कि शासकीय कर्मचारी नहीं हैं, के लिए लागू नहीं होगा तथा इनकी पात्रता का निर्धारण नीचे दिये गये बिन्दु क्रमांक (2) से लेकर (6) में उल्लेखित मानदंडों के आधार पर किया जावे.
- (2) 10,000 की जनसंख्या से कम जनसंख्या वाली नगर पंचायत क्षेत्र में 1500 वर्गफीट से अधिक तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र में 2,500 वर्गफीट से अधिक के क्षेत्रफल में निर्मित स्वयं के पक्के मकान के मानदण्ड को अपात्रता का आधार बनाया जाये.
- (3) 10,000 की जनसंख्या से कम जनसंख्या वाली नगर पंचायत क्षेत्र में 2500 वर्गफीट से अधिक आवासीय भूमि को अपात्रता का आधार बनाया जावे. ग्रामीण क्षेत्रों (अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर) में 5 एकड़ से अधिक के क्षेत्रफल की कृषि भूमि को अपात्रता का आधार बनाया जावे. अनुसूचित क्षेत्रों में कृषि भूमि के स्वामित्व का मानदण्ड अपात्रता का आधार नहीं होगा.
- (4) निर्धारित सीमा से अधिक आवासीय भूमि अथवा पक्के मकान हितग्राही के स्वयं अथवा परिवार (पत्नी एवं बच्चों) के नाम पर होने पर उसे अपात्र माना जाये.
- (5) हितग्राही के स्वयं के खाते में बैंक/डाकघर में एक लाख रुपये से अधिक राशि जमा पाये जाने पर उसे अपात्र माना जावे.
- (6) मोटर चलित चार पहिया एवं तिपहिया वाहन, जैसे-ट्रेक्टर, ट्रक, बस, कार, ऑटो स्वयं अथवा परिवार के अन्य सदस्यों (पत्नी एवं बच्चों) के नाम पर होने पर हितग्राही को अपात्र माना जावे. हितग्राही के परिवार में एक से अधिक मोटर चलित दुपहिया वाहन जैसे-मोटर साईकिल, स्कूटर आदि होने पर हितग्राही को अपात्र माना जावे.
- (7) वर्तमान में कूलर, पंखे, मोबाईल, टी.वी., फ्रिज आदि दैनिक आवश्यक वस्तुएं हो गई हैं. अतः हितग्राही के मकान में इन वस्तुओं की उपलब्धता मात्र से उन्हें अपात्र घोषित नहीं किया जावे.

10 हजार से अधिक आबादी के नगरीय निकायों के मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के राशनकार्डों के नवीनीकरण हेतु मानदण्ड

- (1) शासकीय सेवा से संबंधित परिवारों के लिए रुपये 3367/- प्रतिमाह को मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के राशन कार्ड हेतु गरीब परिवार की आय का कट ऑफ आधार माना जावे. इससे अधिक मानदेय/वेतन प्राप्त करने वाले अस्थायी शासकीय कर्मचारियों को बी.पी.एल. राशन कार्ड के लिए अपात्र घोषित किया जावे.
- (2) नगर निगम क्षेत्रों में 1000 वर्गफीट से अधिक, नगर पालिका क्षेत्र में 1250 वर्गफीट से अधिक और नगर पंचायत क्षेत्र में 1500 वर्गफीट से अधिक के क्षेत्रफल में निर्मित स्वयं के पक्के मकान के मानदण्ड को अपात्रता का आधार बनाया जाये.
- (3) नगर निगम क्षेत्रों में 1500 वर्गफीट से अधिक, नगर-पालिका क्षेत्र में 2000 वर्गफीट से अधिक और नगर पंचायत क्षेत्र में 2500 वर्गफीट से अधिक आवासीय भूमि स्वयं अथवा परिवार के अन्य सदस्यों (पत्नी एवं बच्चों) के नाम पर होने पर अपात्र माना जावे.
- (4) हितग्राही के स्वयं के खाते में बैंक/डाकघर में एक लाख रुपये से अधिक राशि जमा पाये जाने पर उसे अपात्र माना जावे.
- (5) मोटर चलित चार पहिया वाहन, जैसे-ट्रेक्टर, ट्रक, बस, कार स्वयं के नाम पर होने पर हितग्राही को अपात्र माना जावे. हितग्राही के परिवार में एक से अधिक मोटर चलित चारपहिया, तिपहिया एवं दुपहिया वाहन जैसे-मोटर साईकिल, स्कूटर आदि हितग्राही के नाम अथवा परिवार के अन्य सदस्यों (पत्नी एवं बच्चों) के नाम पर होने पर अपात्र माना जावे.
- (6) वर्तमान में कूलर, पंखे, मोबाईल, टी.वी., फ्रिज आदि दैनिक आवश्यक वस्तुएं हो गई हैं. अतः हितग्राही के मकान में इन वस्तुओं की उपलब्धता मात्र से उन्हें अपात्र घोषित नहीं किया जावे.

अतारंकित प्रनोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट “पंद्रह”

[अतारंकित प्र न संख्या 01 (क. 233) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

(भाटापारा अनुभाग अंतर्गत नगर पालिका भाटापारा एवं नगर पंचायत सिमगा में स्थापित मोबाईल टावर की जानकारी)

क्रमांक (1)	निकाय का नाम (2)	मोबाईल टावर कंपनी का नाम (3)	मोबाईल टावरों की संख्या (4)
1.	नगर पालिका भाटापारा	टाटा टेली सर्विस लिमिटेड	01
		रिलायंस मोबाईल टावर	04
		एयरटेल टावर कंपनी	03
		आइडिया टावर कंपनी	04
		बी. एस. एन. एल. कंपनी	03
		डब्ल्यू. टी. टी. आई. एल. लिमिटेड टावर	01
		जी. टी. एल. टेलिकाम टावर कंपनी	01
		हच वोडाफोन मोबाईल टावर	01
		क्यू यो टेलीकाम इन्फ्रस्ट्रक्चर टावर	01
		योग	19
2.	नगर पंचायत सिमगा	दूरसंचार परियोजना भारत संचार निगम लिमिटेड.	01
		टाटा टेली सर्विस लिमिटेड	01
		भारतीय सेल्यूलर लिमिटेड	01
		वायरलेस टाटा टेली इन्फो सर्विस लिमिटेड	01
		रिलायंस इन्फोकाम लिमिटेड	01
		योग	05

प्रपत्र “ब”

(भाटापारा अनुभाग अंतर्गत नगर पालिका भाटापारा एवं नगर पंचायत सिमगा में स्थापित मोबाईल टावर की जानकारी)

क्र.	निकाय का नाम	मोबाईल टावर कंपनी का नाम	स्थल का नाम	अनुमति दिनांक	बिना अनुमति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	नगर पालिका भाटापारा.	टाटा टेली सर्विस लिमिटेड	कृष्णा क्लाथ के ऊपर सदर बाजार भाटापारा.	03-06-05	—
2.	—,—	रिलायंस मोबाईल टावर	भारदा लॉज के ऊपर श्री ओमप्रकाश भार्मा के मकान पर.	19-04-01	—
3.	—,—	रिलायंस मोबाईल टावर	कृष्णा कालोनी के अंदर नयापारा वार्ड	31-08-06	—
4.	—,—	रिलायंस मोबाईल टावर	विहार कालोनी सुधेलाल वर्मा के भूमि पर परसुराम वार्ड	03-09-08	—
5.	—,—	रिलायंस मोबाईल टावर	बजरंग वार्ड में श्री कृष्ण कन्हैया गुप्ता के मकान ख. नं. 99 में 1000 वर्गफुट	25-09-08	—
6.	—,—	एयरटेल टावर कंपनी	माहे वरी राइस मिल (विहार कालोनी) के के पास गांधी मंदिर वार्ड.	—	बिना अनुमति
7.	—,—	एयरटेल टावर कंपनी	पंजाबी धर्म माला के ऊपर भगत सिंह वार्ड	11-11-05	—
8.	—,—	एयरटेल टावर कंपनी	माता देवालय के पीछे संत कंवरराम वार्ड में भयामसुंदर आर्य के खाली प्लॉट पर	06-05-08	—
9.	—,—	आइडिया टावर कंपनी	बानो मंजिल आरिवादा लॉज के ऊपर	17-08-01	—
10.	—,—	आइडिया टावर कंपनी	भगत सिंह वार्ड में मिनीमाता के पास श्री सेवकराम सतनामी की भूमि पर	20-02-08	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	नगर पालिका भाटापारा	आइडिया टावर कंपनी	बजरंग वार्ड में श्री ब्रिजबिहारी गुप्ता के मकान के छत पर	06-10-08	-
12.	-,,---	आइडिया टावर कंपनी	श्री थनवार साहू की भूमि पर जनपद कार्यालय के सामने	15-01-09	-
13.	-,,---	बी. एस. एन. एल. कंपनी	महासती वार्ड स्थित दूरसंचार कालोनी में	-	बिना अनुमति
14.	-,,---	बी. एस. एन. एल. कंपनी	नयापारा वार्ड (गौ ाला रोड में)	-	बिना अनुमति
15.	-,,---	बी. एस. एन. एल. कंपनी	मुं ि इस्माइल वार्ड (श्री मनोहर सिंह चावला) की भूमि पर	-	बिना अनुमति
16.	-,,---	डब्ल्यू. टी. टी.आई. एल. लिमिटेड टावर	श्रीमती सहोद्राबाई साहू हथनीपारा के भूमि पर	01-05-09	-
17.	-,,---	जी. टी. एल. टेलिकाम टावर कंपनी	श्री सुखीराम देवांगन की भूमि पर हथनीपारा	31-12-08	-
18.	-,,---	हच वोडाफोन मोबाईल टावर	केदार गुप्ता की भूमि लाल बहादुर भास्त्री वार्ड	-	बिना अनुमति
19.	-,,---	क्यू यो टेलिकाम इन्फ्रास्ट्रक्चर टावर	सुनील कुमार गिदवानी की भूमि संत रविदास वार्ड	20-01-10	-
1.	नगर पंचायत सिमगा	दूरसंचार परियोजना भारत संचार निगम लिमिटेड	वार्ड क्र. 5 दूरसंचार कालोनी खुला प्लाट पर	16-04-03	-
2.	-,,-	रिलायंस इन्फोकाम लिमिटेड	वार्ड क्र. 7 रामे वर राव भोसले के खुला प्लाट पर	22-12-04	-
3.	-,,-	टाटा टेली सर्विस लिमिटेड	वार्ड क्र. 4 प्रभात ताम्रकार काम्पलेक्स के अंदर खुला प्लाट पर	25-10-05	-
4.	-,,-	भारतीय सेल्यूर लिमिटेड	वार्ड क्र. 12 कृष्ण कुमार ताम्रकार के घर में खुला प्लाट पर	25-01-06	-
5.	-,,---	वायरलेस टाटा टेली इन्फो सर्विस लिमिटेड	वार्ड क्र. 7 प्रीतपाल सिंह भाटिया के खुला प्लाट पर	24-07-09	-

परिशिष्ट “सोलह”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 02 (क. 556) की जानकारी]

जांजगीर-चांपा जिले के अंतर्गत कोल वॉशरी की स्थापना हेतु प्रदत्त अनुमति के संबंध में जानकारी

क्र.	कोल वॉशरी का नाम एवं डायरेक्टरों का नाम	उद्योग स्थल	कोल वॉशरी क्षमता	अनुमति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मे. क्लीन कोल इंटरप्राइजेस प्रा. लि. ग्राम ठड़गाबहरा, पोस्ट-बलौदा, जिला-जांजगीर-चांपा. श्री एम. के. सिन्हा, डायरेक्टर,	ग्राम ठड़गाबहरा, तह.-बलौदा, जिला-जांजगीर-चांपा.	0.90 मिलियन टन/वर्ष	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत दिनांक 17-05-10 को स्थापना सम्मति प्रदान की गई है.
2.	मे. महावीर कोल वा पीराज प्रा. लि. ग्राम भेलाई, पोस्ट-बलौदा, जिला-जांजगीर-चांपा 1. श्री विनोद कुमार जैन, डायरेक्टर, 2. श्री प्रमोद कुमार जैन, डायरेक्टर,	ग्राम-भेलाई, तह.-बलौदा, जिला-जांजगीर-चांपा.	0.95 मिलियन टन/वर्ष	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत दिनांक 10-03-10 को स्थापना सम्मति प्रदान की गई है.

परिशिष्ट “सत्रह”

[अतारंकित प्र न संख्या 04 (क. 579) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

जांजगीर-चांपा जिले में बीपीएल राशनकार्ड की जानकारी

क्र. (1)	विकासखंड का नाम (2)	बीपीएल राशनकार्ड की संख्या (3)
1.	नवागढ़	26595
2.	अकलतरा	25668
3.	बलौदा	24006
4.	पामगढ़	19548
5.	बम्हनीडीह	24284
6.	सक्ती	27563
7.	जैजैपुर	21975
8.	मालखरौदा	26941
9.	डभरा	27497

प्रपत्र “ब”

जांजगीर-चांपा जिले में निरस्त किये गये राशनकार्डों की जानकारी

क्र.	विकासखंड का नाम	निरस्त किये गये बीपीएल राशनकार्डों की संख्या	
		नगरीय	ग्रामीण
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	नवागढ़	1023	874
2.	अकलतरा	691	2091
3.	बलौदा	179	1388
4.	पामगढ़	250	1256
5.	बम्हनीडीह	1470	1405
6.	सक्ती	2915	1893
7.	जैजैपुर	0	561
8.	मालखरौदा	504	1249
9.	डभरा	0	1365

परिशिष्ट “अट्टारह”

[अतारांकित प्र न संख्या 06 (क्र. 793) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

रायगढ़ तथा कोरबा जिले में परिवेशीय वायु में प्रदूषण स्तर एवं उपस्थित प्रदूषक तत्वों बाबत जानकारी

(वर्ष 2010 से 2011 की अवधि में)

जिले का नाम	स्थल	रेस्पाइरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मीटर (माइक्रोग्राम/घनमीटर)	सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मीटर (माइक्रोग्राम/घनमीटर)	सल्फर डाई आक्साइड (माइक्रोग्राम/घनमीटर)	नाइट्रोजन आक्साइड्स (माइक्रोग्राम/घनमीटर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	ओ. पी. जिंदल औद्योगिक पार्क, पूंजीपथरा.	—	280.00—376.88	—	—
	अर्द्ध शहरी इण्डस्ट्रीयल एरिया, बोईरदादर.	—	218.00—465.77	—	—
	क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल भवन.	—	174.00—403.09	—	—
	किरोड़ीमल जिला चिकित्सालय के पास.	—	464.75—476.89	—	—
	जे. एम. जे. मार्निंग स्टार हॉस्पिटल.	—	246.45—460.87	—	—
	डीपापारा भासकीय प्राथमिक भाला, महापल्ली.	—	191.84	—	—
	कोरबा	प्रगति नगर, जमनीपाली	76.00—113.83	155.00—238.00	10.70—14.38
आई. टी. आई., रामपुर	85.54—144.47	167.77—299.00	11.65—15.40	19.22—23.80	
तहसील कार्यालय के पास, रामपुर.	105.00—132.50	176.31—279.83	11.55—15.13	18.78—23.38	

प्रपत्र “ब”

रायगढ़ तथा कोरबा जिले में जल प्रदूषण स्तर एवं उपस्थित प्रदूषक तत्वों बाबत जानकारी

(वर्ष 2010 से 2011 की अवधि में)

जिले का नाम	पैरीमीटर्स	यूनिट	जल नमूनों का विवरण		
			केलो नदी		महानदी
			रायगढ़ के अप स्ट्रीम के समीप	रायगढ़ के डाउन स्ट्रीम कयाघाट के समीप	सूरजगढ़ ग्राम के पास इंटरस्टेट बाउण्ड्री
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तापमान	डिग्री सेंटिग्रेड	22.0-35.0	22.0-35.0	22.0-35.0
	एपीयरेंस	-	स्वच्छ-मटमैला	स्वच्छ-मटमैला	स्वच्छ-मटमैला
	ऑडर	थ्रैसोल्ड नं.	गंधहीन	गंधहीन	गंधहीन
	पी. एच.	पी. एच. यूनिट	7.5-7.97	7.6-8.07	7.5-7.9
	टर्बिडिटी	एनटीयू	13.2-84.0	28.0-97.0	9.5-86.0
	स्पेसिफिक कंडक्टिविटी	माइक्रोह मोस	176.0-299.0	199.0-370.0	169.0-309.0
	टोटल सॉलिड्स	मि. ग्रा./लि.	143.0-370.0	158.0-340.0	126.0-296.0
	डिसाल्वड सॉलिड्स	मि. ग्रा./लि.	102.0-225.0	109.0-248.0	95.0-186.0
	सस्पेंडेड सॉलिड्स	मि. ग्रा./लि.	41.0-131.0	49.0-142.0	31.0-112.0
	अमोनिकल नाइट्रोजन	मि. ग्रा./लि.	1.2-1.4	1.2-1.5	1.2-1.3
	नाईट्रेट नाइट्रोजन	मि. ग्रा./लि.	0.9-1.2	0.4-1.2	0.9-1.2
	नाईट्राइट नाइट्रोजन	मि. ग्रा./लि.	0.02-0.03	0.02-0.03	0.02-0.03
	फॉस्फेट	मि. ग्रा./लि.	0.9-1.4	1.0-1.6	0.8-1.5
	क्लोराईड	मि. ग्रा./लि.	23.0-29.0	25.0-31.0	21.0-28.0
	सल्फेट	मि. ग्रा./लि.	30.0-64.0	34.0-70.0	26.0-62.0
	कोलीफार्म	एमपीएन/100 मि.लि.	64.0-240.0	120.0-460.0	43.0-240.0
	डिसाल्वड आक्सीजन	मि. ग्रा./लि.	6.3-7.7	6.2-7.6	6.4-7.6
	बी. ओ. डी. (3 दिन 27 डिग्री सेंटिग्रेड)	मि. ग्रा./लि.	0.9-2.9	1.3-3.2	0.8-2.9
	सी. ओ. डी.	मि. ग्रा./लि.	15.93-31.87	23.09-35.85	11.94-31.82
	टोटल एल्कैलिनिटी	मि. ग्रा./लि.	86.0-128.0	90.00-140.0	82.0-128.0
	टोटल हार्डनेस	मि. ग्रा./लि.	60.0-110.0	72.0-134.0	56.0-106.0
	कैल्सियम हार्डनेस	मि. ग्रा./लि.	41.0-71.0	48.0-100.0	38.0-68.0
	मैग्निशियम हार्डनेस	मि. ग्रा./लि.	19.0-39.0	22.0-42.0	18.0-38.0
	कैल्सियम	मि. ग्रा./लि.	16.4-28.4	19.2-40.0	15.2-27.2
	मैग्निशियम	मि. ग्रा./लि.	4.6-9.5	5.3-10.2	4.3-9.2

जिले का नाम	पैरामीटर्स	यूनिट	जल नमूनों का विवरण	
			हसदेव नदी	
			हसदेव बराज, दर्री के समीप	उरगा ग्राम के समीप
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कोरबा	तापमान	डिग्री सेंटिग्रेड	26.0-28.3	26.0-28.8
	एपीयरेंस	-	स्वच्छ	स्वच्छ
	ऑडर	थ्रैसोल्ड नं.	गंधहीन	गंधहीन
	पी. एच.	पी. एच. यूनिट	7.07-7.12	6.92-7.13
	टोटल सॉलिड्स	मि. ग्रा./लि.	262.0-422.0	307.0-481.0
	डिसाल्वड सॉलिड्स	मि. ग्रा./लि.	219.0-331.0	242.0-360.0
	सस्पेंडेड सॉलिड्स	मि. ग्रा./लि.	43.0-95.0	52.0-121.0
	अमोनिकल नाइट्रोजन	मि. ग्रा./लि.	1.4-1.9	1.6-2.2
	नाईट्रेट नाइट्रोजन	मि. ग्रा./लि.	1.4-1.8	1.5-2.0
	नाईट्राईट नाइट्रोजन	मि. ग्रा./लि.	0.06-0.09	0.07-0.09
	फॉस्फेट	मि. ग्रा./लि.	1.4-1.7	1.6-1.9
	क्लोराईड	मि. ग्रा./लि.	20.4-22.99	23.9-27.49
	सल्फेट	मि. ग्रा./लि.	52.0-58.0	52.0-62.0
	डिसाल्वड आक्सीजन	मि. ग्रा./लि.	5.7-6.5	5.1-5.9
	बी. ओ. डी. (3 दिन 27 डिग्री सेंटिग्रेड)	मि. ग्रा./लि.	2.0-3.3	3.0-4.1
	सी. ओ. डी.	मि. ग्रा./लि.	30.00-38.0	40.0-48.0
	टोटल एल्कैलिनिटी	मि. ग्रा./लि.	54.0-68.0	54.0-76.0
	टोटल हार्डनेस	मि. ग्रा./लि.	43.0-65.0	60.0-72.0
	कैल्सियम हार्डनेस	मि. ग्रा./लि.	22.0-46.0	25.0-50.0
	मैग्नेसियम हार्डनेस	मि. ग्रा./लि.	18.0-26.0	12.0-30.0

प्रपत्र "स"

रायगढ़ एवं कोरबा जिले में परिवेशीय ध्वनि स्तर बाबत जानकारी
(दीपावली पर्व 2010 के दौरान)

जिले का नाम	स्थल	वर्ष	परिवेशीय वायु में ध्वनि स्तर (डेसीबल 'ए')
(1)	(2)	(3)	(4)
रायगढ़	क्षेत्रीय कार्यालय, छ. ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल के समीप.	2010	40.2-85.9
कोरबा	दर्सी, जमनीपाली ट्रांसपोर्ट नगर	2010 2010	58.2-92.4 68.3-98.4

परिशिष्ट “उन्नीस”

[अतारंकित प्र न संख्या 07 (क. 968) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

जिलापुर जिले में संचालित अन्नपूर्णा दाल-भात केन्द्रों की जानकारी

क्र.	विकासखंड का नाम	दाल भात केन्द्र संचालन स्थल का नाम	संचालनकर्ता का नाम	प्रतिमाह प्रदाय किये जाने वाली चावल की मात्रा	प्रतिदिन लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	जिलापुर	तहसील परिसर जिलापुर	श्री पुरुशोत्तम गुप्ता	8 क्विंटल	85 से 90
2.	जिलापुर	बस स्टैण्ड जिलापुर	जिलापुर एजुकेशन सोसाईटी	8 क्विंटल	90 से 100
3.	मनोरा	साप्ताहिक बाजार, आस्ता	सरपंच ग्राम पंचायत आस्ता	2 क्विंटल	150 से 170 (साप्ताहिक बाजार के दिन ही संचालित)
4.	पत्थलगांव	मंडी प्रांगण के पास पत्थलगांव	श्री राजेश भार्मा	12 क्विंटल	140 से 150

परिशिष्ट “बीस”

[अतारांकित प्र न संख्या 10 (क. 1152) के भाग (क) की जानकारी]

परिवहन जांच चौकी की जानकारी

(1) जांच चौकी –

क्रमांक (1)	परिवहन चेकपोस्ट (बेरियर) का नाम (2)	जिले का नाम जहां स्थित है (3)	राज्य की सीमा (4)
1.	पाटेकोहरा	राजनांदगांव	छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र
2.	छोटा मानपुर	राजनांदगांव	छत्तीसगढ़-मध्यप्रदे ।
3.	मानपुर	राजनांदगांव	छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र
4.	चिल्फी	कबीरधाम	छत्तीसगढ़-मध्यप्रदे ।
5.	खम्हारपाली	महासमुंद	छत्तीसगढ़-उड़ीसा
6.	बागबाहरा	महासमुंद	छत्तीसगढ़-उड़ीसा
7.	केंवची	बिलासपुर	छत्तीसगढ़-मध्यप्रदे ।
8.	धनवार (वाङ्गफनगर)	अंबिकापुर (सरगुजा)	छत्तीसगढ़-मध्यप्रदे ।
9.	रामानुजगंज	अंबिकापुर (सरगुजा)	छत्तीसगढ़-झारखण्ड
10.	घुटरीटोला	कोरिया	छत्तीसगढ़-मध्यप्रदे ।
11.	चांटी	कोरिया	छत्तीसगढ़-मध्यप्रदे ।
12.	रेंगारपाली	रायगढ़	छत्तीसगढ़-उड़ीसा
13.	भांख	ज पुर नगर	छत्तीसगढ़-झारखण्ड
14.	कोन्टा	दन्तेवाड़ा	छत्तीसगढ़-आन्ध्र-प्रदे ।
15.	धनपूंजी	जगदलपुर	छत्तीसगढ़-उड़ीसा

(2) उप जांच चौकी –

1. लवाकेरा उप जांच चौकी, (परिवहन चेकपोस्ट भांख के अधीन संचालित होता है)
2. कंटगपाली (बरमकेला) उप जांच चौकी, (परिवहन चेकपोस्ट रेंगारपाली के अधीन संचालित होता है)

परिशिष्ट “इक्कीस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क. 1445) के भाग (ख) की जानकारी]

नया रायपुर में मुख्यतः नागरिकों के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है उसे तीन भागों में बाटा गया है जो निम्नानुसार :-

- (1) **भौतिक अधोसंरचना** :- सड़क एवं ट्रांसपोर्ट, जल प्रदाय, मल-जल निकास एवं निष्पादन विकल्प प्रणाली, बरसाती पानी का निकासी, वर्षा जल का हारवेस्टिंग, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, विद्युत अधोसंरचना एवं दूरसंचार अधोसंरचना आदि.
- (2) **सामाजिक अधोसंरचना** :- स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस स्टेशन, अग्नि आपदा प्रबंधन केन्द्र, डाक एवं तार सुविधा, दूरभाष, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाएं, वितरण सेवाएं (दूध, फल, सब्जी, घरेलु गैस एवं पेट्रोल पंप आदि) एवं अन्य सुविधाएं जैसे वृद्ध आश्रम, कार्यरत महिलाओं एवं पुरुषों के लिए छात्रावास, धार्मिक, भावदाह गृह/ आश्रम, आनंदघाट एवं सामुदायिक स्तर पर सामाजिक सुविधाएं आदि.
- (3) **मनोरंजन** :- आवासीय कालोनी के स्तर पर तथा सामुदायिक स्तर पर उद्यान एवं खेल क्षेत्र, भाहर स्तरीय आमोद-प्रमोद क्षेत्र, खेल कुद की सुविधाएं तथा हरित पट्टि इत्यादि.

परिशिष्ट “बाईस”

[अतारांकित प्र न संख्या 18 (क. 1596) के भाग (घ) की जानकारी]

गोदामवार उपार्जित चावल की जानकारी

क्र.	उपार्जन एजेन्सी	गोदाम का नाम	उपार्जित चावल की मात्रा (मे. टन में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	भारतीय खाद्य निगम	भारतीय खाद्य निगम, रायगढ़	15000.06
2.		राज्य भंडारगृह निगम, रायगढ़	12900.00
3.		केन्द्रीय भंडारगृह निगम-01, रायगढ़	5000.00
4.		केन्द्रीय भंडारगृह निगम-02, रायगढ़	5075.00
5.		भारतीय खाद्य निगम, खरसिया	13000.00
6.		राज्य भंडारगृह निगम, खरसिया	3200.00
7.		केन्द्रीय भंडारगृह निगम, खरसिया	11000.00
8.	नागरिक आपूर्ति निगम	केन्द्रीय भंडारगृह निगम-01, रायगढ़	5438.12
9.		केन्द्रीय भंडारगृह निगम-01, रायगढ़	6486.72
10.		राज्य भंडारगृह निगम, लोहरसिंह	7037.18
11.		राज्य भंडारगृह निगम, सांरगढ़	6975.60
12.		राज्य भंडारगृह निगम, बरमकेला	323.60
13.		केन्द्रीय भंडारगृह, खरसिया	10047.04
14.		राज्य भंडारगृह निगम, घरघोड़ा	2231.88
15.		राज्य भंडारगृह निगम, धरमजयगढ़	1768.71
16.		राज्य भंडारगृह निगम, लैलूंगा	2424.12

परिशिष्ट "तेईस"

[अतारांकित प्र न संख्या 21 (क. 1601) के भाग (क) की जानकारी]

आर. आई. सर्किल लवन के अन्तर्गत विकासखण्ड कसडोल, पलारी एवं बलौदाबाजार में समितिवार
धान खरीदी तथा प्रदाय बारदानों की जानकारी

क्र.	विकासखण्ड का नाम	धान उपार्जन केन्द्र का नाम	बारदानों की आपूर्ति मात्रा (नग में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कसडोल	मुढीपार	50000
2.	कसडोल	बया	110000
3.	कसडोल	कुसुमसरा	75000
4.	कसडोल	बोरसी	35000
5.	कसडोल	बार	20000
6.	कसडोल	कसडोल	147500
7.	कसडोल	बिलारी	68000
8.	कसडोल	कटगी	203500
9.	कसडोल	हटौद	107500
10.	कसडोल	अमोदी	97500
11.	कसडोल	चिखली	50000
12.	कसडोल	मटिया	153000
13.	कसडोल	गिरौद	65000
14.	कसडोल	मल्दा छेछर	110000
15.	कसडोल	पिसीद	160000
16.	कसडोल	टुण्डरा	180000
17.	कसडोल	हसुवा	112500
18.	कसडोल	थरगांव	126500
19.	कसडोल	देवरी नगोड़ी	152500
20.	पलारी	पलारी	88000
21.	पलारी	दतान	93000
22.	पलारी	कुसमी	95000
23.	पलारी	बलौदी	116000
24.	पलारी	रोहांसी	97000
25.	पलारी	सीतापार	70500
26.	पलारी	सलौनी	63000
27.	पलारी	ओड़ान	141500
28.	पलारी	लच्छनपुर	79000
29.	पलारी	कोनारी	34500
30.	पलारी	ससहा	107500
31.	पलारी	वटगन	148000
32.	पलारी	सिसदेवरी	93500
33.	पलारी	गिरा	89500
34.	पलारी	भवानीपुर	174500
35.	पलारी	गिधपुरी	115500
36.	पलारी	जर्वे	142000
37.	पलारी	खरतौरा	82500

(1)	(2)	(3)	(4)
38.	पलारी	जारा	141500
39.	पलारी	देवसुन्द्रा	127000
40.	पलारी	गाड़ाभाठा	49500
41.	बलौदाबाजार	कोसमंदी	8500
42.	बलौदाबाजार	छेरकापुर	5000
43.	बलौदाबाजार	अमेरा	9000
44.	बलौदाबाजार	रिसदा	142200
45.	बलौदाबाजार	ब. बाजार	80300
46.	बलौदाबाजार	संकरी	54000
47.	बलौदाबाजार	खम्हरिया (ढेलकी)	68500
48.	बलौदाबाजार	भरसेला (कुकुरदी)	75000
49.	बलौदाबाजार	सेमराडीह	55000
50.	बलौदाबाजार	डमरू	96500
51.	बलौदाबाजार	करमदा	141500
52.	बलौदाबाजार	रसेड़ा	96000
53.	बलौदाबाजार	लाहौद	145000
54.	पलारी	गुमा	40000
55.	पलारी	चुचरुंगपुर (सरसेनी)	30000
56.	पलारी	कोसमंदी	96500
57.	पलारी	छेरकापुर	159500
58.	पलारी	अमेरा	60000
59.	पलारी	सैहा	80000
60.	बलौदाबाजार	लवन	119000
61.	ब. बाजार	डोंगरीडीह	95000
62.	ब. बाजार	मुण्डा	50000
63.	ब. बाजार	बरदा	105000
64.	ब. बाजार	खैरा	37000
65.	ब. बाजार	सिरियाडीह	75000
66.	ब. बाजार	मरदा	47500
67.	ब. बाजार	कोहरौद	84500
68.	ब. बाजार	सरखोर (अहिल्दा)	125000

परि िष्ट “चौबीस”

[अतारांकित प्र न संख्या 23 (क. 1606) के भाग (ख) की जानकारी]

1. **दिनांक 07-08-10** — जोन कमि नर जोन क. 07, उप अभियंता जोन क. 07, तोड़फोड़ दस्ता नगर निवे ि विभाग उप-अभियंता नगर निवे ि द्वारा मुर्गी रखने की जालियां जप्त की गईं.
2. **दिनांक 09-08-10** — उपस्थित अधिकारी जोन कमि नर जोन. क. 07, उप अभियंता जोन क. 07, तोड़फोड़ दस्ता नगर निवे ि विभाग उप अभियंता नगर निवे ि द्वारा बाहर बैठे मुर्गी एवं मटन वालों की दुकानों को अंदर किया गया एवं जमीन समतल की गईं.
3. **दिनांक 23-08-10** — उप अभियंता मांस एवं मटन बाहर बैठकर बिक्री करने वाले दुकानदारों को समझाई ि देकर निर्धारित स्थल पर बैठाया गया.
4. **दिनांक 25-08-10** — उप अभियंता द्वारा मांस एवं मटन वाले बाहर बैठकर बिक्री करने वाले दुकानदारों को अन्दर निर्धारित जगह पर बैठाये जाने की कार्यवाही की गईं.
5. **दिनांक 13-09-10** — उप अभियंता द्वारा बाहर बैठे मुर्गी एवं मटन वाले दुकानदारों को समझाई ि देकर पुनः निर्धारित स्थल पर बैठाया गया.